भारत का विधि आयोग

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण

पर

एक सौ तिरपनवीं रिपोर्ट

1994

भारत का विधि आयोग

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण

पर

एक सौ तिरपनवीं रिपोर्ट

1994

के० एन० सिंह

भारत के भूतपूर्व न्यायमूर्ति

अध्यक्ष,

विधि आयोग,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110 001

टेलीफोन : कार्यालय : 384475
निवास : 3019485

अ० शा० पत्र सं० 6(3)(15)/92-एल० सी०(एल० एस०), अगस्त 26, 1994

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

मुझे "अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण" के संबंध में, विधि आयोग की 153वीं रिपोर्ट (13वें विधि आयोग की 10वीं रिपोर्ट) आपके पास अग्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष है।

इस रिपोर्ट में विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर विचार किया गया है। हमारे देश में, लगभग 180 लाख निराश्रित और अनाथ बालकों का पालन पोषण विभिन्न अनाथालयों में किया जा रहा है। प्रति वर्ष, लगभग 50 हजार बालक निराश्रित हो जाते हैं क्योंकि वे निःसहाय माता पिता या अविवाहित माताओं द्वारा त्याग दिए जाते हैं। उनमें से सैकड़ों को स्वच्छ जल के अभाव और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण कुपोषण तथा रोग से मृत्यु हो जाती है। चूंकि बालक हमारे देश के मानव संसाधन का स्रोत हैं और वे सर्वोच्च महत्व वाली राष्ट्रीय आस्ति हैं अतः राज्य और समाज का यह कर्तव्य है कि उनका कल्याण सुनिश्चित करने और रक्षोपाय के लिए प्रभावी कदम उठाएं और उन्हें स्वस्थ वातावरण में बढ़ने तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करें। अनेक भारतीय बालक विदेशी व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिए जा रहे हैं, यदाकदा, ऐसे दत्तक ग्रहणों ने दुष्प्रथाओं को भी जन्म दिया है क्योंकि दत्तक ग्रहण के नाम पर भारतीय बालक, घरेलू सेवा और चरित्रहीन शोषण के लिए विदेश ले जाए जाते हैं। तथापि, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन के लिए कोई विधि नहीं है।

आयोग ने ऐसा अनुभव किया कि बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन विधि द्वारा किए जाने की आवश्यकता थी; अतः आयोग ने स्वप्रेरणा से इस विषय का अध्ययन प्रारंभ किया और गहन अध्ययन तथा आनुभविक शोध के पश्चात् अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया, जो इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न है। प्रस्थावित प्रारूप विधेयक, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धांतों और विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों, घोषणाओं तथा लिखतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

हमें आशा है कि सरकार इस रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी, क्योंकि वह बालकों के परितापों को कम करने और परित्यक्त तथा अनाथ बालकों के दत्तक ग्रहण में दुष्प्रथाओं का निवारण करेगी।

सादर,

भवदीय
ह०/-
(के० एन० सिंह)

महामहिम श्री पी० वी० नरसिंहराव,
प्रधान मंत्री एवं
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
1.	भूमिका	1
2.	वर्तमान विधिक स्थिति	5
3.	दत्तक ग्रहण विधि से संबंधित विधायी प्रयास	7
4.	दत्तक ग्रहण पर अंतरराष्ट्रीय विधि	10
5.	अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर न्यायिक मार्गदर्शी सिद्धान्त	17
6.	बाल कल्याण अभिकरणों की भूमिका	25
7.	सिफारिशें	31
परिशिष्ट		
"क"	अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण विधेयक, 199....	35
"ख"	बालक दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980	44
"ग"	गृह अध्ययन रिपोर्ट	45
"घ"	दस्तावेज, प्रमाणपत्र, आदि	47
"ङ"	बाल अध्ययन रिपोर्ट	48
"च"	संस्थाओं के नाम विधि आयोग का पत्र	49
"छ"	बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण करने के लिए मान्यताप्राप्त अभिकरणों की सूची, जिन्हें परिशिष्ट "च" का पत्र भेजा गया था	50
"ज"	बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यताप्राप्त उन अभिकरणों की सूची, जिन्होंने परिशिष्ट "च" के पत्र का उत्तर दिया	54
"झ"	बाल कल्याण अभिकरणों का व्यावहारिक कार्यकरण अनुभव	58
"ञ"	मान्यताप्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान किए गए आंकड़ों के अनुसार	61
"ट"	विदेशी व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिए गए बालकों से संबंधित आंकड़े, स्थापन अभिकरण-वार	68

अध्याय 1

भूमिका

1.1. यह रिपोर्ट विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण की समस्या पर विचार करने के लिए स्वप्रेरणा से तैयार की गई है। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए अभी कोई विधि न होने के कारण, प्रस्थावित विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रयास किया गया है।

1.2. संविधान में बालकों के कल्याण को सर्वोपरी महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 15 का खंड (3) राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए समर्थ बनाता है। अनुच्छेद 23 मानव के पण्य और वलातश्रम का, प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 में यह उपबंध है कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में न नियोजित किया जाएगा और न किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाया जाएगा। अनुच्छेद 39 के खंड (इ) और खंड (च) में यह उपबंध है कि राज्य अपनी नीति का अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए संचालन करेगा कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश हो कर बालकों को ऐसे व्यवसायों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो और उन्हे स्वस्थ रीति से तथा स्वतंत्र एवं गरिमामय स्थिति में विकास करने की सुविधा दी जाती है तथा शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण किया जाता है।

1.3. यह अत्यंत दुःखद स्थिति है कि भारत में लगभग 1.80 करोड़ की दिल दहला देने वाली संख्या में निराश्रित तथा परित्यक्त बालक संपूर्ण देश में यत्रतत्र विद्यमान अनाथालयों में निवास कर रहें हैं। अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 बालक निराश्रित हो जाते हैं और निःसहाय माता पिता तथा अविवाहित माताओं द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है। हमारे देश की विस्फोटक जनसंख्या भी बालकों की समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से योगदायी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में, चीन के बाद हमारे देश का दूसरा स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 84 करोड 63 लाख है जिसमें से लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यू एन डी पी के मानव विकास सूचकांक (मा वि सू)[1] के अनुसार वर्ष 1993 में 173 देशों की सूची में भारत का 134 वां स्थान था। गरीबी और अशिक्षा, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में गहरे पैठी सदियों पुरानी ऐतिहासिक समस्याएं हैं। अब उनके संघात को बड़ी संख्या में बालकों द्वारा अनुभव किया और भोगा जा रहा है। गरीबी के उन्मूलन और सभी के लिए शिक्षा में अभी कुछ वर्ष और लगेंगे किन्तु, इस बीच परित्यक्त बालकों को झंझावाती जीवन जीने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है।

1.4. समाज का नैतिक विवेक हमें परित्यक्त बालकों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बाध्य करता है। सिद्धान्ततः प्रत्येक बालक को प्रेम करने का और स्नेह पाने का अधिकार है और बालक "सर्वोच्च महत्ववाली राष्ट्रीय संपत्ति" हैं तथा किसी राष्ट्र का भावी कल्याण इस बात पर निर्भर है कि उसके बालकों की वृद्धि और उनका विकास

किस प्रकार हो रहा है। हमारे देश में निराश्रित या परित्यक्त बालक एक दुःखद वास्तविकता है। जहां तक निराश्रित बालकों के कल्याण की बात है, सिद्धांत और वास्तविकता के बीच व्यापक रिक्ति है। एक सीमा तक इस रिक्ति को कुछ बालकों के दत्तक ग्रहण द्वारा दूर किया गया है। निराश्रित बालकों के कष्ट निवारण में दत्तक ग्रहण अत्यंत सहायक है। परित्यक्त बालकों के लिए दत्तक माता-पिता, जन्मदाता माता-पिता के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं।

1.5. इतर विश्व के बालकों की भयावह स्थिति कमोवेश भारत में भी बालकों को लागू होती है और इसी लिए, यदि यह संभव नहीं है कि भारत में उनके लिए संतोषजनक ऐसे कौटुम्बिक जीवन की व्यवस्था की जा सके जहां पर वे माता-पिता की स्नेहपूर्ण देख-रेख में बडे हो सकें और पोषक आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा शिक्षा जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तथा स्थैर्य एवं नैतिक, साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा के साथ मौलिक मानवीय गरिमा युक्त जीवन बिता सकें तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि उन्हें विदेशी माता-पिता को दत्तक दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

1.6. जहां माता-पिता अपने बालक को दत्तक देना चाहते हैं या यदि बालक परित्यक्त है तो दत्तक दिया जाना ऐसे बालक के हित में होगा। फिर भी, पहले देश के भीतर ही बालक के लिए दत्तक माता पिता खोजने का प्रयास किया जाना आवश्यक है क्योंकि ऐसे दत्तक ग्रहण से बालक के दत्तक माता-पिता के कुटुंब में आत्मसात्करण की समस्या का अपने आप निराकरण हो जाएगा। यदि बालक के लिए देश के भीतर उपयुक्त दत्तक माता-पिता कोज पाना सम्भव नहीं हो पाता है तो ऐसे बालक को अनाथालय में पलने बढने के लिए छोड देने की अपेक्षा अनिवासी भारतीयों को, और ऐसा न हो सकने पर विदेशी माता-पिता को दत्तक में बालक दे देना आवश्यक हो सकता है। क्योंकि अनाथालय में न तो कौटुंबिक जीवन मिलेगा, न माता-पिता का प्यार और स्नेह तथा देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक दशाओं में यह भी संभव है कि उसे निराश्रित, अर्द्धनग्न, अर्द्धबुभुक्षित और दुःखभोग का जीवन बिताना पडें।

1.7. भारत में दत्तक ग्रहण लोक प्रिय नहीं है और दत्तकग्रहीता सामान्यता स्वस्थ और सुन्दर बालक का चुनाव करता है। बालिकाएं आमतौर पर दत्तक में ग्रहण नहीं की जाती हैं। दूसरी ओर, विदेशियों की बालक के लिंग, उसकी त्वचा के रंग अथवा स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में कोई शर्त नहीं होती। ऐसे असंख्य प्रकरण हैं जहां विदेशी कुटुंब ने विकलांग बालकों को दत्तक लिया है, उनका सफलतापूर्वक उपचार कराया है और उनका पालन पोषण किया है। गत चार वर्षों के दौरान विदेशी दत्तकग्रहीता माता-पिता को 1990 में 1272, 1991 में 1190, 1992 में 990 और 1993 में 1134 बालक दत्तक दिए गए थे।[2]

1.8. तथापि, विदेशियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण ने दुष्प्रथाओं को जन्म दिया है। दत्तक ग्रहण के नाम पर भारतीय बालकों को घरेलू नौकरियों के लिए विदेश ले जाया जाता है और चरित्रहीन व्यक्ति पश्चिमी देशों में बालकों के दुर्व्यापार को प्रोत्साहित कर स्थिति का शोषण करते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 1992[3] में इन पहलुओं का न्यायिक संज्ञान किया गया था। न्यायालय ने विदेशियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के संबंध में विचार करते समय यह टिप्पणी की कि यह सम्पूर्ण आन्दोलन सुस्पष्ट नहीं है। "यह दुरुपयोग और युक्त वियथगमन से नहीं हैं। ऐसे बालकों का दुर्व्यापार करने और उन्हें दासता या वेश्यावृत्ति के लिए फायदे पर बेचने वाली किसी अंतरराष्ट्रीय कूट-योजना (रैकेट) के संभाव्य अस्तित्व का पूरी तरह वर्जन नहीं किया जा सकता"। भारत के उच्चतम न्यायालय[4] में भी एक अधिवक्ता द्वारा संबोधित पत्र के आधार पर, जिसमें विदेशी माता-पिता को भारतीय बालक दत्तक लेने के प्रस्ताव के कार्य में लगे सामाजिक संगठनों

और स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा दुष्प्रथाओं में मग्न होने की शिकायत की गई थी, इस समस्या का संज्ञान किया था। पत्र में यह अभिकथित था कि सुकुमार आयु वाले भारतीय बालकों को दत्तक ग्रहण के बहाने उनके जीवन की अति जोखिम पर न केवल सुदूर विदेशों की लम्बी अत्यंत भयावह यात्रा पर ले जाया जाता है, अपितु जहां वे जीवित रह जाते हैं और जहां इन बालकों को आश्रय या सहायता गृहों में नहीं रखा जाता, वहां वे समय के अनुक्रम में उनके अधिकथित पालक माता पिता की समुचित देख भाल के अभाव में भिक्षुक या वेश्या बन जाते हैं।

1.9. बालको का ऐसा शोषण समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने[5] विनिदिष्ट सिद्धांत अधिकथित किए हैं और विदेशी माता-पिताओं द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध किया है। हम इस रिपोर्ट के पांचवे अध्याय में उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।

1.10. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण का सबसे अधिक संवेदनशील, विवादग्रस्त और जटिल पहलू है। इसमें प्रवास, नागरिकता, दत्तक ग्रहीता माता-पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक के अनुरूप माता-पिता और एक भिन्न समुदाय और संस्कृति में बालक की स्वीकार्यता संबंधी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का विभिन्न अंतर्वलित हैं। इसके लिए सागर पार देशों में दत्तक ग्रहण अभिकरणों अथवा प्राधिकारियों की भागीदारी अपेक्षित है। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर न्यू वेल्स ला रिफार्म कमीशन[6] द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं।

1.11. बालक के हित में यह आवश्यक है कि विधान द्वारा और अर्हता प्राप्त तथा प्राधिकृत राज्य और सामाजिक प्राधिकारियों के बीच अत्यधिक सहयोग द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन किया जाए। आशा है कि इसके परिणाम स्वरूप दत्तक ग्रहण मात्र विधायी व्यवस्था पर ही आधारित नहीं होगा अपितु यह एक ऐसे परिवेश का सृजन भी सुकर बनाएगा जिसमें बालक का स्वस्थ और सुखमय विकास हो सकेगा और वह वास्तविक रूप में अपने दत्तक ग्रहण करने वाले समाज का अभिन्न अंग बन जाएगा।

1.12. इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए सुसंगत दत्तक ग्रहण और संरक्षकता पर पर्याप्त विधि संहिताएं उपलब्ध हैं। इसमें राष्ट्रीय प्राइवेट ला और पब्लिक ला लिखतें भी है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की सतर्कता पूर्वक जांच की गई है तथा संगत अंतरराष्ट्रीय लिखतों का भी सम्यक् रूप से विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, विषय से संबंधित न्यायिक निर्णयों पर इस रिपोर्ट में विशेष रूप से विचार किया गया है।

1.13. विदेशी माता-पिता द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण पर वर्तमान कानूनी, प्रक्रियात्मक प्रशानिक, संस्थागत, पर्यवेक्षी और अन्य संगत रक्षपायों तथा संरक्षणों संबंधी प्रतिक्रियाओं का निष्कर्ष निकालने के लिए भारत के विधि आयोग ने अनुभवाश्रित अध्ययन किया था। आयोग ने सामाजिक और बालक कल्याण अभिकरणों, संगठनों को तथा उच्चतम न्यायालय[7] के निर्देशों के अधीन स्थापित एवं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को एक प्रश्नावली भेजी थी। प्राप्त उत्तरों और सुझावों की विधि आयोग द्वारा संवीक्षा और विश्लेषण किया गया। सिफारिशें तैयार करते समय सुझावों को सम्यक् रूप से महत्व दिया गया है।

1.14. रिपोर्ट केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर तैयार नहीं की गई है, अपितु यह अनुभवमूलक अन्वेषणों पर भी आधारित है। साथ ही इस रिपोर्ट में उपलभ्य प्राथमिक और गौड़ स्रोत सामग्री का तथा गत एक दशाब्दी या उससे अधिक समय तक अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा किए गए व्यावहारिक कार्य अनुभव का भी उपयोग किया गया है।

2—2 M of L&J/ND/95

पाद टिप्पण—अध्याय 1

1. इकोनामिक सर्वे, 1993–94, भारत सरकार, अध्याय 9, सामाजिक सैक्टर, पृष्ठ 146–159।
2. वार्षिक रिपोर्ट, 1992–93, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (हिन्दी संस्करण) पृष्ठ 71, उपाबंध 40।
3. रे : रसिकलाक छगनलाल मेहताए, आई आर, 1982 गुजरात, 193।
4. एल० के० पाण्डे बनाम भारत संघ (1984), 2 एस सी आर 795।
5. वही।
6. बालक दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1965 की समीक्षा (एन एस डब्ल्यू), इस्यु पेपर नं० 9, पृ० 67, पैरा 10, 2।
7. एल० के० पाण्डे बनाम भारत संघ (1984), 2 एस सी आर 795।

अध्याय 2

वर्तमान विधिक स्थिति

2.1. भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर उसी रूप में कोई अधिनियमिति नहीं है। फिर भी, बड़ी संख्या में भारतीय बालकों को भिन्न-भिन्न देशों के विदेशी माता पिताओं द्वारा दत्तक में लिया गया है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

2.2. भारत के विधि आयोग ने प्रसंगतः भारत में रह रहे व्यक्ति के लिए भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया था[1] उस समय आम सहमति यह थी कि यह विषय न्यायालय के विवेकाधीन था तथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 के अधीन विदेशी व्यक्ति की संरक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रतिषेध करने वाला कोई कठोर नियम नहीं है। अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने वाली कोई सिफारिश नहीं की गई थी और संरक्षकों के रूप में किसी संस्था की नियुक्ति का प्रश्न आस्थगित कर दिया गया था।

2.3. संप्रति, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण, उच्चतम न्यायालय[2] द्वारा अधिकथित सिद्धांतों, मानदण्डों और प्रक्रिया द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। इसके पूर्व, गुजरात उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था और विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिकथित किए थे[3]। ऐसा करते समय न्यायालय ने **मार्ग्रेट मारिया बनाम डा० चक्को**[4] में पूर्ण पीठ के विनिश्चय पर निर्भर किया था।

2.4. आर० सी० मेहता वाले मामले में[5], जिला न्यायाधीश राजकोट ने पश्चिम जर्मनी वासी दंपति को दत्तक ग्रहण के लिए अवयस्क बालिका देने के लिए हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9(4) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की थी। आदेश, इस प्रयोजन के लिए निष्पादित दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर किया गया था यद्यपि उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि बालिका को दत्तक ग्रहीता माता पिता द्वारा पश्चिमी जर्मनी ले जाया जाना था। जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में दत्तक ग्रहीता माता पिता ने बालिका के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था किन्तु पासपोर्ट जारी किए जाने से इस आधार पर इंकार कर दिया गया था कि जिला न्यायाधीश के आदेश में बालिका को देश से बाहर ले जाने के लिए कोई निर्देश नहीं था। इसी बीच जिला न्यायाधीश का आदेश अभिखण्डित करने के लिए उच्च न्यायालय में रिटयाचिका दायर की गई। रिटयाचिका खण्ड पीठ को निर्देशित की गई किन्तु याचिका की सुनवाई की तारीख पर, याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई क्योंकि यह महसूस कर लिया गया था कि इस मामले में उचित प्रक्रिया होगी संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुज्ञा दे दी।

विदेशी माता पिता द्वारा भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण से संबंधित एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने वाली किसी विधि के अभाव में विदेशी माता पिता द्वारा बालक के दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए निर्देश जारी करने में संविधान के अनुच्छेद 15, 34 और 39 को तथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 से दत्तक निर्दिष्ट किया।

ये मामले यह दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के उपबंधों को, जो कभी भी विदेशी माता पिता द्वारा बालक के दत्तक ग्रहण के लिए उपयोगार्थ आशयित नहीं थे, ऐसे दत्तक ग्रहण की विनिमायक विधि के अभाव में उपयोगी प्रयोजन सिद्ध किया गया ।

2.5. मूलत: संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, जिसे इसमें इसके पश्चात् "1890 का अधिनियम" कहा गया है, अवयस्क बालकों के संरक्षण की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है और वह विदेशियों या भारतीयों द्वारा बालकों के दत्तक ग्रहण का विनियमन नहीं करता है । किन्तु इसके उपबंधों का विदेशियों द्वारा बालकों का दत्तक ग्रहण सुकर बनाने के लिए उपयोग किया गया है। जब कोई विदेशी व्यक्ति किसी अनाथ बालक को दत्तक लेना चाहता है तब वह जिला न्यायालय के समक्ष स्वयं को उस बालक के संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन करता है और ऐसी नियुक्ति के पश्चात् वह विदेशी बालक को न्यायालय की अनुज्ञा से स्वदेश ले जाता है ।

2.6. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण का विनियमन करने वाली कोई अधिनियमिति नहीं है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में भी भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करने वाला कोई सुस्पष्ट उपबंध नहीं है । तथापि, न्यायालयों ने 1890 के अधिनियम का उपयोगी प्रयोजन के लिए, स्वविवेकानुसार प्रयोग किया है और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित किया है।

पाद टिप्पण--अध्याय 2

1. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के उपबंधों पर तिरासीवीं रिपोर्ट।
2. एल० के० पाण्डे बनाम भारत संघ (1984) 2 एस सी आर 795।
3. इन रि: आर० सी० मेहता, ए आई आर, 1982, गुजरात, 193।
4. ए आई आर, 1970 केरल, 1।
5. ए आई आर, 1982 गुजरात, 193।

अध्याय 3

दत्तक ग्रहण विधि से संबंधित विधायी प्रयास

3.1. इसके पूर्व, भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित एक व्यापक विधि तैयार करने के लिए प्रयास किए गए हैं किन्तु किसी न किसी आलोचना के कारण, ये प्रयास सफल नहीं हो सके थे।[1] इस विषय पर विधि के संहिताकरण का अंतिम प्रयास दिसंबर 1980 में किया गया था जब बालक दत्तक ग्रहण विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह मुसलमानों को लागू नहीं होता था। इस विधेयक की कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक आलोचना की गई थी और यह भी व्यपगत हो गया था। उसके बाद हमारे देश में विधि को सुधारने और उसे आधुनिक रूप देने के लिए बालक दत्तक ग्रहण विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

3.2. इस प्रक्रम पर, यह समुचित होगा कि 1980 के विधेयक की प्रमुख विशेषताएं, जो इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी सीमा तक संगत हैं, संक्षेप में निर्देशित की जाएं। 1980 के विधेयक में यह प्रस्ताव था कि--

(क) कोई व्यक्ति, जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसे पहले ही दत्तक नहीं लिया गया है या विवाहित नहीं है, विधित: स्वस्थचित्त के किसी व्यक्ति द्वारा जो कम से कम 25 वर्ष की आयु का है, दत्तक लिया जा सकता है,

(ख) जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय का दत्तक ग्रहण आदेश आवश्यक हो सकेगा । अन्यथा, दत्तक ग्रहण अवैध होगा ।

(ग) कोई अकेला व्यक्ति या विवाहित दंपति, संयुक्त रूप से, दत्तक ले सकते हैं। बालक की आयु और दत्तक ग्रहीता माता पिता या माताओं पिताओं की आयु के बीच, जब तक कि न्यायालय अन्यथा अनुज्ञा न दे, 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है ।

(घ) किसी अधर्मज बालक को उसके माता पिता द्वारा, या तो अकेले या अपने पति/अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से दत्तक लिया जा सकता था।

(ङ) किसी बालिका को किसी पुरुष द्वारा अनन्यत: दत्तक तब तक नहीं लिया जा सकता था जब तक कि वह उसका पिता न हो या अन्य "विशेष परिस्थितियां" न हों जो दत्तक ग्रहण आदेश को उचित ठहराती हों।

(च) माता पिता दोनों की या संरक्षक की या दत्तक ग्रहण में दिए जाने वाले बालक की देखरेख करने वाली संस्था का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है । किसी अधर्मज बालक के पिता की सहमति अपेक्षित नहीं है । यदि माता पिता नहीं पाए जा सकते या वे/वह बालक की अपेक्षा या उसके साथ दुर्व्यवहार के दोषी हैं तो न्यायालय द्वारा भी सहमति की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी ।

(छ) न्यायालय का पूरी तरह समाधान होना आवश्यक है कि दत्तक ग्रहण आदेश का प्रभाव माता पिता दोनों के द्वारा समझ लिया गया है।

(ज) यदि बालक इतना बड़ा हो गया है कि वह अपने हित को समझ सके तो उसकी इच्छाएं महत्वपूर्ण कारक होंगी ।

(झ) बालक के कल्याण का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा ।

(ञ) न्यायालय बालक के सर्वोत्तम हित में दत्तक ग्रहण आदेश में उपयुक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा । यदि दत्तक लिए गए बालक के साथ दुर्व्यवहार होता है तो न्यायालय मध्यक्षेप कर सकेगा ।

(ट) किसी दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है ।

(ठ) किसी दत्तक ग्रहण आदेश का विधिक प्रभाव बालक का उसके जन्म के कुटुम्ब से पूरी तरह संबंध विच्छेद है और उसे दत्तक गृहीता माता पिता के विधिपूर्ण संबंधों से जन्मे बालक की प्रास्थिति प्रदान करता है ।

(ड) प्रत्येक राज्य के लिए दत्तक ग्रहण संस्था के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी विधि द्वारा नियत किया जाता है । ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के आधे सदस्य महिलाएं होंगी । प्राधिकारियों से कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी संस्था को कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ढ) विधेयक में किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के दो विनिर्दिष्ट और तात्विक खंड 23 और 24 अंतर्विष्ट थे । इन खंडों पर बाद में चर्चा की जाएगी ।

3.3. इस बात पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि 1980 के विधेयक ने विवाहित महिला को अपने पति के साथ संयुक्त रूप से किसी बालक को दत्तक लेने का समान अधिकार दिया था इसमें माता पिता दोनों की सहमति अपेक्षित थी और इसमें अविवाहित स्त्री को भी किसी बालक को दत्तक लेने की अनुज्ञा दी गई थी । 1980 के विधेयक के अधीन किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए बालक का कल्याण सर्वोपरि विचार था ।

3.4. प्रसंगतः इस बात पर ध्यान देना संगत होगा कि विधि आयोग[2] ने अवयस्क बालकों की संरक्षकता और अभिरक्षा से संबंधित विषयों में तथा संविधान के शब्द और उसकी भावना के अनुपालन में "महिलाओं के प्रति अन्याय" के निराकरण के लिए, किसी दत्तक गृहीत पुत्र या पुत्री की संरक्षकता को सुकर बनाने की दृष्टि से कल्याण के सिद्धांत के व्यापकीकरण में महिलाओं के प्रति विभेद के निराकरण पर सिफारिशें की थीं । रिपोर्ट में कल्याण के सिद्धांत पर चर्चा की गई थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि न्यायालय द्वारा किसी हिन्दु अवयस्क के, चाहे वह नर हो या नारी, संरक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए ।

3.5. अब हम 1980 के विधेयक के खंड 23 और 24[3] में अंतर्विष्ट सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे क्योंकि वे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः सुसंगत महत्वपूर्ण उपबंध है :

(क) खंड 23 दत्तक ग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी भारतीय बालक को भारत से बाहर ले जाना या भेजना सिवाय उसके दंडनीय बनाता है जहां बालक को खंड 24 के अधीन किसी जिला न्यायालय द्वारा पारित अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश के प्राधिकार पर इस प्रकार भेजा या ले जाया जाता है ।

(ख) खंड 24 जिला न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञा देने वाले अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश देने के लिए सशक्त करता है जो भारत में अधिवसित नहीं है और जो अपने अधिवास के देश की विधि के अधीन भारत में निवास करने

वाले किसी बालक को, भारत से बाहर ले जाने के प्रयोजन के लिए दत्तक लेना चाहता है । इसमें "दत्तक ग्रहण आदेश" से सुभिन्न "अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश" के तत्व का समावेश है ।

(ग) दत्तक ग्रहण एक विधिक कल्पना है अतः पूर्वोक्त खंड द्वारा इस आशय का एक समझा गया उपबंध पुरःस्थापित किया गया था कि वह बालक, जिसकी बाबत दत्तक ग्रहण आदेश किया गया है, उस दत्तक गृहीता के विधिपूर्ण संबंधों से जन्म लेने वाला बालक समझा जाएगा और बालक के जन्म के कुटुम्ब से उसे पृथक हो गया और उनके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया समझा जाएगा जो, दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा, दत्तक गृहीता कुटुम्ब में सृजित किए गए हैं ।

(घ) किसी अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश की बाबत विद्यमान तत्व निम्न हैं—(1) आवेदक, वह व्यक्ति जो भारत में अधिवसित नहीं है, किसी बालक को उस देश की विधि के अधीन दत्तक लेना चाहता है जिसमें वह अधिवसित है, (2) आशयित दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए आवेदक, बालक को भारत से बाहर अपने देश में ले जाना चाहता है, (3) न्यायालय, इस स्थिति में आवेदक को आशयित दत्तक ग्रहण के लिए बालक को हटाये जाने को प्राधिकृत करते हुए अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश कर सकेगा, (4) न्यायालय आवेदक को उसके अधिवास के देश में बालक का दत्तक ग्रहण लंबित रहने के दौरान उसकी देखभाल और अभिरक्षा प्रदान करता है ।

(ङ) जिला न्यायालय द्वारा अनंतिम दत्तक ग्रहण आदेश पारित किए जाने के पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है कि (1) आवेदक, उसकी राय में बालक को दत्तक लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, (2) बालक का कल्याण और हित, आवेदक के अधिवास के देश की विधियों के अधीन सुरक्षित किया जाएगा, और (3) आवेदक ने यदि आवश्यक हो तो बालक को भारत प्रत्यावर्तित किए जाने में समर्थ बनाने वाले समुचित उपबंध किए हैं ।

(च) बालक तब तक आवेदक की अभिरक्षा में बना रहता है जब तक की आवेदक के देश के भीतर अंतिम दत्तक ग्रहण नहीं हो जाता है ।

3.6. उपर्युक्त परिचर्चा के परिप्रेक्ष्य में और विशेष रूप से इसलिए कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने वाली अधिनियमिति बनाना एक आसन्न आवश्यकता है ।

पाद टिप्पण—अध्याय 3

1. इस विषय पर विधेयक पहली बार संसद् में एक स्वतंत्र सदस्य, जयश्री राय जी द्वारा 1955 में पुरःस्थापित किया गया था। उस समय इसे वापस ले लिया गया था क्योंकि तत्कालीन विधि मंत्री ने हिन्दू दत्तक और भरण पोषण विधेयक के लिए शांत स्वीकृति चाही थी। बाद में दो अन्य विधेयक वर्ष 1967 और 1970 में पुरःस्थापित किए गए थे, किंतु ये दोनों विधेयक भी व्यपगत हो गए थे। तब बालक दत्तक ग्रहण विधेयक, राज्य सभा में 1972 में पुरःस्थापित किया गया था तथा संसद् के मुसलमान सदस्यों द्वारा इस आधार पर अत्यधिक विरोध किए जाने के कारण वापस ले लिया गया था कि वह उनकी स्वीय विधि के सिद्धांतों को प्रभावित करेगा ।

2. आवयस्क बालकों की संरक्षकता और अभिरक्षा से संबंधित विषयों में महिलाओं के प्रति विभेद के निराकरण और कल्याण सिद्धांत के व्यापकीकरण से संबंधित 133वीं रिपोर्ट, 1989।

3. परिशिष्ट "ख"

अध्याय 4

दत्तक ग्रहण पर अंतरराष्ट्रीय विधि

4.1. विश्व के अधिकांश राज्यों में दत्तक ग्रहण के संबंध में प्राचीन विधि और रूढ़ियों से समसामयिक विधि और रुढ़ियों तक हुए आधारभूत परिवर्तनों ने दत्तक ग्रहण संबंधी अंतरराष्ट्रीय विधि पर प्रचुर प्रभाव डाला है । अत: इस रिपोर्ट के इस भाग के आरंभ में ऐसे विकास का संक्षिप्त विवरण प्रसंगानुकूल और आवश्यक है । इसका कारण यह है कि अन्य राज्य विधियों के समान अंतरराष्ट्रीय विधि शून्य में प्रवर्तित नहीं होती, अपितु उन समस्याओं का भी समाधान खोजती है जो राष्ट्रों के सौजन्य में सामाजिक और सांस्कृतिक विकासों की गंभीरता पर केंद्रित है ।

4.2. दत्तक ग्रहण इतना व्यापक रूप से मान्य है कि इसे प्राय: विश्व व्यापी संस्था के रूप में माना जा सकता है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन काल तक विद्यमान हैं।

किसी विशिष्ट कुटुम्ब में पुरुष परंपरा की निरंतरता, विश्व में दत्तक ग्रहीता का कल्याण, प्रमुखत: और इसके बाद प्राचीन कालीन दत्तक ग्रहण में यही प्राथमिक चिंता का विषय था। दत्तक लिए गए बालक के कल्याण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था ।

इसके विपरीत, समसामयिक विधि और रुढ़ियों का उद्देश्य है बालक के कल्याण की व्यवस्था करना और इसे राज्य का उसके बालकों के प्रति साधारण कार्यक्रम का प्रमुख बिंदु माना जाता था यद्यपि अभी भी वंश परंपरा को बनाए रखने की इच्छा दत्तक ग्रहण के लिए निजी प्रेरणा है, फिर भी अब समाज का हित विवाहित दंपत्ति और बालक के बीच माता-पिता-बालक के संबंध के सृजन पर अधिक केंद्रित है यह दृष्टिकोण मूलत: प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाली अवधि में विकसित हुआ था जब अधर्मज बालकों की संख्या में अभूतपूर्व बृद्धि हो गई थी। 20वीं शताब्दी के परवर्ती भाग में, विधिक दत्तक ग्रहण के लिए उपलभ्य बालकों की संख्या में कमी के कारण धर्म और प्रजातीय परंपराओं के भिन्न स्थापनाओं जैसे, पारंपरिक निबंधनों में भी परिवर्तन हुए। अब अनेक राज्यों[1] में एकल माता या पिता द्वारा दत्तक ग्रहण स्वीकार्य है ।

4.3. ऊपर चर्चित विकास से बालकों का शोषण से संरक्षण करने और सर्वोपरि विचार के रूप में उनके कल्याण को अग्रसर करने में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास प्रकाश में आ गए हैं और ये प्रयास अंतरराष्ट्रीय लिखतों में स्पष्ट किए गए हैं । ये प्रयास निम्नवत हैं :

1. दि जेनेवा डिक्लेरेशन आफ दि राइट आफ दि चाइल्ड आफ 1924,
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर, 1959 को अपनाया गया राइट आफ दि चाइल्ड का घोषणा पत्र,
3. विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा तैयार की गई और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् द्वारा उसके 20वें सत्र में अपनाई गई अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया के प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत ।
4. प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन द्वारा अपनाया गया 15 नवंबर, 1956 का हेग अभिसमय ।

5. बालक के संरक्षण और कल्याण से संबंधित और उसके राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से पालन पोषण स्थापन तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित सामाजिक और विधिक सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जो संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा 3 दिसंबर, 1986 को अंगीकार किया गया ।
6. 1988 के प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संकल्प 14 पर हेग सम्मेलन के विशेष आयोग की रिपोर्ट ।
7. बालक के अधिकारों से संबंधित 20 नवंबर, 1989 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ।
8. प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन के विशेष आयोग द्वारा तैयार की गई अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के बाबत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बालकों के संरक्षण पर फरवरी, 1992 का प्रारम्भिक प्रारूप अभिसमय ।
9. अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालक के संरक्षण और सहयोग पर 29 मई, 1993 के हेग सम्मेलन में प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि अभिसमय ।

4.4. ये लिखतें, अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित करती हैं और इसीलिए इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षत: सुसंगत हैं। पूर्वोक्त अंतरराष्ट्रीय लिखतों में से प्रत्येक लिखत पर विस्तृत रूप से चर्चा करना आवश्यक नहीं है । पूर्वोक्त लिखतों से ली गई प्रमुख विशेषताओं का संक्षप में निम्नवत् सार दिया जा रहा है :

(क) बालक अपने जन्म से एक नाम और राष्ट्रीयता का हकदार होगा ।

(ख) बालक का सर्वोत्तम हित ही सर्वोपरि विचार होगा ।

(ग) सुकुमार बालक को, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, उसकी माता से पृथक् नहीं किया जाएगा ।

(घ) सोसाइटी और सार्वजनिक प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे बिना कुटुम्ब वाले बालकों की विशेष देखभाल करें ।

(ङ) बालक का सभी प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से संरक्षण किया जाएगा । वह किसी भी रूप में दुर्व्यापार के अधीन नहीं होगा ।

(च) बालक का ऐसी रुढ़ियों से संरक्षण किया जाएगा जो प्रजातीय, धार्मिक और किसी अन्य प्रकार के विभेद को बढ़ा सकती हों ।

(छ) दत्तक ग्रहण का प्राथमिक लक्ष्य, बालक के लिए स्थायी कुटुम्ब और समुचित परिवेश की व्यवस्था करता है ।

(ज) यदि बालक को उसके अपने देश में किसी दत्तक गृहीता कुटुम्ब में नहीं रखा जा सकता है तो बालक को कुटुम्ब की व्यवस्था के वैकल्पिक साधन के रूप में, अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के बारे में सोचा जा सकता है ।

(झ) दत्तक ग्रहण के संवर्धन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को वृत्तिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

(ञ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण सक्षम प्राधिकारी या अभिकरण के माध्यम से, पर्याप्त रक्षोपायों के साथ किया जाना चाहिए । और अनुचित वित्तीय अभिलाभ अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए और बालक के विधिक और सामाजिक हित सुरक्षित होने चाहिएं ।

3—2 M of L&J/ND/95

(ट) यह सुनिचित कर लिया जाए कि बालक दत्तक ग्रहण के लिए विधित: स्वतंत्र है, भावी दत्तक गृहीता माता पिता के साथ रहने के लिए प्रवर्जित हो सकता है और उनकी राष्ट्रीयता अभिप्राप्त कर सकता है।

(ठ) सरकारों को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में अंतर्विष्ट बालकों के संरक्षण के लिए नीति, विधान और प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और यह कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, जहां कहीं संभव हो, तभी होने चाहिएं जब संबद्ध राज्य में ऐसे उपाय सुस्थापित हो गए हों।

(ड) जन्मदाता माता पिता की सहमति स्वतंत्र तथा बिना किसी बाध्यता के होनी चाहिए और बालक के भरण पोषण में उनकी धार्मिक इच्छाओं को अधिमान दिया जाना चाहिए।

(ढ) बालक के अध्ययन की रिपोर्ट, कुटुम्ब अध्ययन की रिपोर्ट और ऐसे अन्य अन्वषण को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए।

(ण) किसी बालक पर उपगत लागत की प्रतिपूर्ति की जाए।

(त) बालकों की मुनाफाखोरी और उनका दुर्व्यापार रोका जाएगा।

4.5. 1989 दत्तकगृहीत बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण अभिसमय है। अत: हम इस पर विस्तृत रूप से विचार करेंगे।

अनुच्छेद 21 निर्णायक उपबंध है जिसमें अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं। यह निम्नवत है :

"अनुच्छेद 21 — राज्य पक्षकार जो दत्तक ग्रहण की प्रथा को मान्यता और/या अनुज्ञा देते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार होंगे और राज्य—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी बालक का दत्तक ग्रहण ऐसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही प्राधिकृत किया जाता है जो लागू विधि और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा सभी संबद्ध और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह अवधारित करे कि माता पिता, नातेदारों तथा विधिक संरक्षकों से संबंधित बालक की प्रास्थिति को दृष्टि में रखते हुए दत्तक ग्रहण अनुज्ञेय है और यदि अपेक्षित हो तो संबद्ध व्यक्तियों ने ऐसे परामर्श के आधार पर, जो आवश्यक हो, दत्तक ग्रहण के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है।

(ख) यह मान्यता देगा कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर बालक की देखभाल के एक वैकल्पिक साधन के रूप में विचार किया जा सकता है यदि बालक को पोषक या किसी दत्तकग्रहीता कुटुम्ब में रखा नहीं जा सकता या बालक के जन्म के देश में उसकी देखभाल उपयुक्त रीति से नहीं की जा सकती है[2]।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबद्ध बालक, उन रक्षोपायों और मानकों के समतुल्य रक्षोपाय और मानक का उपभोग करता है जो राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की दशा में विद्यमान है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेगा कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में, स्थानन का परिणाम उनके लिए अनुचित आर्थिक अभिलाभ नहीं होगा जो इसमें अंतर्ग्रस्त है।

(ङ) जहां ठीक हो, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों या करार द्वारा वर्तमान अनुच्छेद के उद्देश्यों का उन्नयन करेगा और इस ढांचे के भीतर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अन्य देश में बालक का स्थानन, सक्षम प्राधिकारियों या संगठनों द्वारा किया जाता है।"

इस अभिसमय में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को तब एक वैकल्पिक साधन के रूप में मान्यता दी गई है जब उसे उसके जन्म के देश में दत्तक नहीं लिया जा सकता और इस बात पर जोर दिया गया है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के उद्देश्यों को, जहां समुचित हो, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों द्वारा उन्नत किया जाता है[3]।

4.6. प्राइवट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन में 15 नवंबर 1965 को, दत्तक ग्रहण से संबंधित अधिकारिता, लागू विधि और डिक्रियों की मान्यता पर एक अभिसमय अंगीकार किया था। तथापि जनवरी 1988 की प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन के विशेष आयोग की रिपोर्ट पर सम्मेलन में मुक्त रूप से दो संभावित नीतियों पर चर्चा की गई थी, या तो एक सीमित लिखत को सम्मेलन के भीतर ही व्याख्या की जानी है या ऐसी लिखत की व्याख्या होनी है जिसमें गैर सदस्य देशों का हित प्रत्यक्षत: हो और उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा और फिर यह विचार व्यक्त किया कि—

"सभी भागीदार सहमत थे कि अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण इस समय उस प्रकार या प्रमाता की बहुत गम्भीर समस्या उठा रहा है जो उस प्रकार या प्रमाता से भिन्न है जो उस समय थीं जब नवंबर 15, 1965 का हेग अभिसमय तैयार किया गया था।"

अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की समस्या की यही गंभीरता है जिसमें अंतत: विशेष आयोग को इस विषय को बनाए रखने के पक्ष में विनिश्चय करने के लिए प्रेरित किया—

"अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण इस शर्त पर हो कि संबद्ध गैर सदस्य राज्य कार्य में भाग लेने की अपनी रजामंदी.....व्यक्त करें।"

यह विनिश्चय अभिव्यक्त की गई उन आशंकाओं के बावजूद किया गया था कि क्या प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन इस विषय पर विचार करने के लिए उचित मंच था। तभी से हेग सम्मेलन अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर अंतरराष्ट्रीय कार्य में अंतरशासकीय और गैर शासकीय संगठनों के समन्वयन में लगा हुआ है।

4.7. प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधी हेग सम्मेलन द्वारा फरवरी 1992 की प्रारूप रिपोर्ट पर उसके 17वें सत्र में विचार किया गया था और 29 मई, 1993 को उसे अंतिम अधिनियम के रूप में अपनाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि भारत हेग सम्मेलन के गैर सदस्य देश के रूप में अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला देश है।

फाइनल ऐक्ट की उद्देशिका में, 20 नवम्बर, 1989 को बालक के अधिकार संबंधी संयुक्त राज्य अधिसमय और बालक संरक्षण तथा कल्याण संबंधी सामाजिक और विधिक सिद्धांत संबंधी संयुक्त राज्य घोषणापत्र, में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भरण पोषण स्थानन तथा दत्तक ग्रहण के प्रति विशेष निर्देश के साथ अधिकथित सिद्धांतों को गणना में लिया गया है। द्वितीयत: इसमें यह माना गया है कि अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, किसी ऐसे बालक

के, स्थायी कुटुम्ब को फायदे का प्रस्ताव करता है जिसकी उसके जन्म के देश में उपयुक्त रीति से देखरेख नहीं की जा सकती है। तीसरे, यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त करता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, बालक के सर्वोत्तम हित में, बालक के सम्मान और उसके मौलिक अधिकारों के सम्मान तथा बालकों के अपहरण, उनके विक्रय या दुर्व्यापार के निवारण के लिए किए जाते हैं। इसमें संविदाकारी राज्यों के मध्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोग प्रणाली की स्थापना चाही गई है कि उसमें उपबंधित रक्षोपायों का सम्मान किया जाता है और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, अभिसमय के अनुसार किए जाते हैं।

4.8. फाइनल ऐक्ट के अनुच्छेद 4 में, विनिर्दिष्ट आज्ञापक रक्षोपाय, निम्नत: अधिकथित हैं :

(1) बालक, दत्तक योग्य है ;

(2) जन्म के राज्य के भीतर बालक के स्थानन पर सम्यक् रूप से विचार किया जाना है ;

(3) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, बालक के सर्वोत्तम हित में है ;

(4) उन व्यक्तियों, संस्थाओं और प्राधिकारियों से, दत्तक ग्रहण के लिए जिनकी सहमति आवश्यक है, सम्यक् रूप से परामर्श किया गया है और उन्हें उनकी सहमति के तथा दत्तक ग्रहण के प्रभावों की सम्यक् जानकारी दे दी गई है ;

(5) उनकी सहमति स्वतंत्र और अपेक्षित प्ररूप में और बिना शर्त तथा लिखित रूप में दी जाती है ;

(6) उनकी सहमति, किसी संदाय या प्रतिकर द्वारा उत्प्रेरित नहीं की गई है ;

(7) उनकी सहमति, अप्रतिसंहरणीय है ;

(8) माता की सहमति, जहां कहीं अपेक्षित हो, बालक के जन्म के पश्चात् ही दी गई है ;

(9) सहमति, प्राप्तकर्ता राज्य में दत्तक ग्रहण के प्रभावों के पूर्ण ज्ञान के पश्चात् दी गई है।

4.9. अनुच्छेद 4 में बालक की और वयस्कता की मात्रा पर निर्भर करते हुए कुछ वैकल्पिक रक्षोपायों का निम्नत: उपबंध है :

(1) बालक को दत्तक ग्रहण के प्रभावों के बारे में परामर्श और सम्यक् रूप से सूचना दी गई है ;

(2) बालक की सहमति, यदि अपेक्षित है तो, अभिप्राप्त की गई है;

(3) बालक की इच्छाओं और उसके अभिमतों पर विचार किया गया है;

(4) बालक की सहमति, यदि अपेक्षित है तो, स्वतंत्र रूप से और अपेक्षित विधि के प्ररूप में बिना किसी शर्त के और लिखित रूप में दी गई है ;

(5) बालक की सहमति किसी प्रकार के संदाय या प्रतिकर द्वारा उत्प्रेरित नहीं है।

दत्तक माता पिता के संबंध में, अभिसमय में यह अधिकथित है कि प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को यह अवधारित करना होगा कि--

(1) भावी दत्तक माता पिता, दत्तक लेने के लिए पात्र और उपयुक्त हैं; और

(2) बालक प्राप्तकर्ता राज्य में स्थायी रूप से प्रवेश और निवास करने के लिए प्राधिकृत है या प्राधिकृत किया जाएगा।

4.10. प्राप्तकर्ता राज्य में बालक के अन्तरण की बाबत, यह घोषित किया जाता है कि बालक तभी अंतरित किया जाएगा जब दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों ने यह सत्यापित कर लिया है कि उनके राज्यों की विधियों के अधीन दत्तक ग्रहण पर कोई रोक विद्यमान नहीं है और वे सहमत हो गए हैं कि बालक भावी दत्तक माता पिता को न्यस्त किया जाना चाहिए।

4.11. केन्द्रीय प्राधिकारियों और प्रत्यायित निकायों के लिए, कर्तव्यों का निर्वहन करने और सूचना, सांख्यिकी तथा मानक प्ररूपों के उपबंध के लिए समुचित उपाय करने तथा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए किसी अड़चन को समाप्त करने का भी उपबंध किया गया है। केन्द्रीय प्राधिकारी ऐसे स्वैच्छिक निकाय को प्रत्यायन मंजूर कर सकता है जो वृत्तिक रूप से उनको न्यस्त प्रशासनिक और सामाजिक कार्य करने के लिए सक्षम है। प्रत्यायित निकाय केवल अलाभकारी उद्देश्यों का अनुसरण करे और उसके ऐसे कर्मचारीवृन्द हों जो अपने नैतिक मानदण्डों द्वारा और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में प्रशिक्षण या कार्य करने में अनुभव द्वारा विशेष रूप से अर्हित व्यक्ति हो और वे संरचना, प्रचालन और वित्तीय स्थिति के संबंध में राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण के अध्यधीन होंगे।

4.12. प्रक्रिया के संबध में यह अधिकथित है किसी बालक को दत्तक लेने की इच्छा वाले व्यक्ति को अपने आदतन निवास के राज्य में केन्द्रीय प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। केन्द्रीय प्राधिकारी, यह समाधान होने पर कि आवेदक, दत्तक लेने के लिए पात्र और उपयुक्त है, एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उस बालक की विशेषताएं भी शामिल होंगी जिसे दत्तक लेने के लिए वे उपयुक्त होंगे। तैयार की गई रिपोर्ट तब बालक के मूल के राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी।

4.13. मूल के राज्य का केन्द्रीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि बालक दत्तक ग्रहण योग्य है तो वह बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उन व्यक्तियों, संस्थाओं और प्राधिकारियों की सहमति अभिप्राप्त करेगा, जिनकी सहमति आवश्यक है और यह अवधारित करेगा कि क्या प्रस्थापित स्थानन बालक के सर्वोत्तम हित में है। मूल के राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तब आवेदक के राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी को संप्रेषित की जाएगी।

पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्राधिकारी के कृत्यों का उसके राज्य की विधि द्वारा अनुज्ञेय सीमा तक लोक प्राधिकारियों या निकायों द्वारा पालन किया जा सकता है।

4.14. फाइनल एक्ट में अंतर्विष्ट अन्य सुसंगत उपबंधों में यह अधिकथित है कि दोनों राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकारी, मूल के राज्य को छोड़ने और प्राप्तकर्ता राज्य में प्रवेश और स्थायी रूप से निवास करने के लिए बालक के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने और अन्तरण सुरक्षित परिस्थितियों में हो उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और वे, यदि कोई परिवीक्षा अवधि अपेक्षित है तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया तथा स्थानन की प्रगति के बारे में एक दूसरे को सूचित बनाएं रखेंगे।

4.15. दत्तक ग्रहण के राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए और प्रमाणित दत्तक ग्रहण की मान्यता के लिए एक उपबंध में मूल के राज्य द्वारा मान्यता की अस्वीकृति अनुज्ञात है यदि दत्तक ग्रहण, स्पष्टत: लोक नीति और बालक के सर्वोत्तम हित के प्रतिकूल है। इसमें लागत और खर्चों के बारे में भी व्यवस्था है।

4.16. इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी क्रिया कलाप से अनुचित वित्तीय और अन्य अभिलाभ किसी व्यक्ति द्वारा वान्छनीय नहीं होंगे तथा केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत और खर्चे, जिसके अंतर्गत दत्तक ग्रहण में हितबद्ध व्यक्तियों कि युक्तियुक्त वृत्तिक फीस भी है, प्रभारित और संदत्त की जा सकेगी। यह दत्तक ग्रहण में अंतर्ग्रस्त निकायों के निदेशकों, प्रशासकों और कर्मचारियों को, दी गई सेवाओं के संबंध में अनुचित रूप से अधिक पारिश्रमिक भी प्राप्त करने का प्रतिषेध करती है।

4.17. अंतरराष्ट्रीय अभिसमय तब तक विधि के रूप में प्रवर्तित नहीं होते हैं जब तक कि विधायिका उनमें अधिकथित सिद्धांतों का समावेश करते हुए विधि अधिनियमित नहीं करती है। चूंकि भारत, फाइनल ऐक्ट का एक हस्ताक्षर कर्ता है अतः वह अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों को प्रभावी करने के लिए अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत विधि, अधिनियमित करने की अंतरराष्ट्रीय बाध्यता के अध्यधीन है। अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा अधिकथित सिद्धांतों के अतिरिक्त, हमारे न्यायालयों ने भी, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित किए हैं। किसी भी विधान संबंधी कार्यवाही में सिद्धांतों के इन दोनों सेटों पर विचार किया जाना चाहिए।

पाद टिप्पण—अध्याय 4

1. **दि न्यू इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,** वाल्यूम 1, माइक्रोपेडिया, रेडी रेफरेंस, 1987 1–ए० ए के बाएस पृ० 105

2. इम्फैसिस सप्लाइड।

3. इम्फैसिस सप्लाइड।

4. साधारण सभा संकल्प 41/1850, 3 दिसंबर, 1986

अध्याय 5

अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर न्यायिक मार्गदर्शी सिद्धांत

5.1. उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को संबोधित एक पत्र पर लोक हित में, विदेशी माता-पिता को भारतीय बालक दत्तक देने के कार्य में लगे सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा किए जा रहे अनाचारों का संज्ञान किया। पत्र में "भारत में स्थित अभिकरणों को" देश के बाहर दत्तक देने के लिए बालकों को ले जाने के कार्यों से निबारित करने का अनुरोध किया गया था और यह भी कहा गया था कि भारत सरकार, भारतीय बाल-कल्याण परिषद् तथा भारतीय समाज कल्याण परिषद् को निदेश दिया जाए कि वे विदेशी माता-पिता द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण विषय में अपनी बाध्यताओं का पालन करें।

जिस युगान्तकारी निर्णय में मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित किए गए थे, उसके बाद समय-समय पर, या तो उनके स्पष्टीकरण में या प्रतिस्थापन में या पहले जारी किए गए आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय बिंदुओं पर, जिनमें अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण अंतर्विष्ट था, आठ अन्य आदेश जारी किए गए।[1]

5.2. उच्चतम न्यायालय ने, भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर मानक और प्रक्रियात्मक रक्षोपाय अधिकथित करते समय संविधान के अनुच्छेद 15, 24 और 39 तथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 से 9 तक और धारा 11 पर तथा अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों पर निर्भर किया। न्यायालय की न्यायिक सृजनात्मकता ने मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा उस रिक्ति को भरा था जहां इसके पूर्व कुछ भी नहीं था।

5.3. गुजरात उच्च न्यायालय[2] द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित करने का पूर्व प्रयास व्यापक नहीं था। तथापि विनिश्चय ने, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रति निर्देश से विदेशी माता-पिता द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के प्रश्न का समाधान किया था और हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 का लागू होना अपवर्जित कर दिया था।

5.4. प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदनों को निपटाने का न्यायालय द्वारा, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उच्च न्यायालय, मुम्बई[3] और उच्च न्यायालय, दिल्ली[4] द्वारा नियमों और अनुदेशों के अधीन तथा उसी प्रयोजन के लिए गुजरात उच्च न्यायालय[5] द्वारा किए गए कतिपय प्रेक्षणों द्वारा अधिकथित की गई थी।

5.5. मानक और प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का सार प्रस्तुत करने से पूर्व हमारे लिए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रत्येक मौके पर इस बात पर जोर दिया था कि बालक के लिए कौटम्बिक परिवेश सर्वश्रेष्ठ हैं और दत्तक माता-पिता, जन्मदाता माता-पिता के लिए दूसरे श्रेष्ठ स्थानापन्न होंगे। किन्तु जब बालक को दत्तक ग्रहण में दिया जाना हो, तब पहले उसके लिए देश के भीतर दत्तक ग्रहीता माता-पिता खोजने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए और ऐसे प्रयासों के असफल हो जाने के पश्चात् ही, यह आवश्यक हो सकता है कि बालक को किसी अनाथालय में बड़े होने की अनुमति देने के बजाय उसे किसी विदेशी व्यक्ति को दत्तक में दे दिया जाए।

5.6. उच्चतम न्यायालय द्वारा परित्यक्त बालकों के प्रति दिखलाई गई इसी देखरेख और चिंता के परिप्रेक्ष्य में, हम पहले मानक रक्षोपायों का सार संक्षेप प्रस्तुत करेंगे और फिर प्रक्रियात्मक रक्षोपायों पर विचार करेंगे।

मानक रक्षोपाय, निम्नवत वर्गीकृत किए जा सकते हैं:

(1) जब कोई बालक दत्तक योग्य है;

(2) जब बालक अपने जन्मदाता माता-पिता के साथ रह रहे हैं;

(3) जब बालक निराश्रित या परित्यक्त है;

(4) जब कोई विदेशी व्यक्ति, किसी भारतीय बालक को दत्तक लेना चाहता है; और

(5) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में केन्द्रीय प्राधिकारियों और मान्यताप्राप्त संगठनों की भूमिका।

अंतर्देशीय दत्तकग्रहण में दो देश शामिल होते हैं। पहला, जन्म का राज्य या भेजने वाला राज्य, और दूसरा प्राप्त करने वाला राज्य, अत:, दो राज्यों के दो केन्द्रीय प्राधिकारी हैं जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों के लिए आवश्यक संविदाकारी पक्षकार हैं। ये केन्द्रीय प्राधिकारी, स्वैच्छिक संगठनों या अभिकरणों को, विदेशी व्यक्तियों द्वारा बालकों के दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में उनके अनुभव, वृत्तिक कौशल और सत्यनिष्ठा के आधार पर, कतिपय अनुबंधों और शर्तों पर, मान्यता मंजूर करते या मंजूर करने की अपेक्षा करते हैं। निःसन्देह दोनों राज्यों के राजनयिक मिशन भी, इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मानक रक्षोपायों का वर्गीकरण करने में विचार किया जाना आवश्यक है।

अब हम, मानक रक्षोपायों का सार संक्षेप निम्नवत प्रस्तुत करेंगे:

जब बालक दत्तक गृहण योग्य है

5.7. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में बालक को देने के लिए सर्वप्रथम शर्त यह है कि बालक, दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र और विधितः उपलभ्य होना चाहिए।

प्रथमतः यदि जन्मदाता माता-पिता की सहमति दी जानी है तो वह विवाध्यता या उत्प्रेरणा से मुक्त हो और बालक के सर्वोत्तम हित में हो; यह जब माता-पिता ने दत्तक ग्रहण के लिए बालक को त्याग दिया हो और आवश्यक साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो अभ्यर्पण कर दस्तावेज हो तो बालक को स्पष्टतः दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त मानना चाहिए।

द्वितीय, जहां कोई बालक अनाथ या निराश्रित या परित्यक्त बालक है और किसी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण में रह रहा है और संबंधित अभिकरण के लिए उसके माता-पिता का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाया है या जहां बालक किसी किशोर न्यायालय द्वारा किसी संस्था, केन्द्र या सुपुर्द बालक गृह के सुपुर्द किया गया है और किशोर न्यायालय द्वारा निराश्रित घोषित किया जाता है, वहां ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र और विधितः उपलभ्य माना जाना चाहिए।

जन्मदाता माता-पिता के साथ रहने वाला बालक

5.8. जहां कोई बालक अपने जन्मदाता माता-पिता के साथ रह रहा है वहां वे यह विनिश्चय करने वाले सर्वोत्तम व्यक्ति होंगे कि क्या उन्हें अपना बालक विदेशी माता-पिता को दत्तक देना चाहिए।

जब माता-पिता अपना बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में देने का विनिश्चय करते हैं, वहां निम्नलिखित रक्षोपाय होने चाहिएं:

(1) जन्मदाता माता-पिता को बालक के जन्म के पूर्व या बालक के जन्म की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, दत्तक में बालक को देने के संबंध में, विनिश्चय करने के लिए उल्लेखित या प्रोत्साहित या अनुज्ञात भी नहीं किया जाना चाहिए।

(2) दत्तक ग्रहण के लिए बालक के त्याग के बारे में कोई विनिश्चय करने के पूर्व जन्मदाता माता-पिता को उचित परामर्श दिया जाना चाहिए।

(3) परामर्शी कार्य उस समाज या बालकल्याण अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिए जिसको या जिससे बालक अभ्यर्थित या त्याग किया जा रहा है।

(4) जन्मदाता माता-पिता द्वारा कोई विनिश्चय किए जाने के पूर्व, दत्तक ग्रहण की सभी विवक्षाओं को, जिसमें विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की संभावना भी है, समझने में उनकी सहायता की जानी चाहिए।

(5) जन्मदाता माता-पिता को विनिर्दिष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि बालक के दत्तक ग्रहण किए जाने की दशा में, उनके लिए बालक के साथ आगे कोई संपर्क रखना संभव नहीं होगा।

(6) जन्मदाता माता-पिता को बालक के त्यजन के बारे में विनिश्चय करने में किसी विवाध्यता के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) जन्मदाता माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए बालक के त्याग का विनिश्चय कर लेने पर भी, उन्हें अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए लगभग तीन मास की और अवधि दी जानी चाहिए।

(8) किन्तु यदि एक बार विनिश्चय कर लिया जाता है और तीन मास की और अवधि के भीतर पुनः विचार नहीं किया जाता, तो उसे अप्रतिसंहरणीय माना जाए।

(9) रिष्टि की किसी संभावना को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक को वस्तुतः उसके जन्मदाता माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया है, यह आवश्यक है कि वह समाज या बाल कल्याण अभिकरण जिसे जन्म दाता माता-पिता द्वारा बालक अभ्यर्पित किया जा रहा है, जन्मदाता माता-पिता से, जन्मदाता माता-पिता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और कम से कम दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित अभ्यर्पण का दस्तावेज प्राप्त कर ले।

(10) ऐसे अभ्यर्पण दस्तावेज में केवल जन्मदाता माता-पिता के नाम और उनके पते ही नहीं होने चाहिए, अपितु उसमें बालक के जन्म, और उसकी पृष्ठ भूमि, स्वास्थ्य और विकास की बाबत भी जानकारी होनी चाहिए।

(11) तब किसी विदेशी व्यक्ति को दत्तक में बालक देने के लिए प्रक्रिया जन्मदाता माता-पिता को और कोई निर्देश किए बिना, विदेशी व्यक्ति से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन बालक के संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन भरवाकर आरंभ की जा सकती है।

(12) तत्पश्चात् जन्मदाता माता-पिता से पुनः यह परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा कि वे अपने बालक को दत्तक देना चाहते हैं या वे उसे वापस लेना चाहते हैं।

(13) यदि जन्मदाता माता-पिता ने बालक की धार्मिक पालनपोषण के लिए अधिमान का कथन किया है तो उनकी इच्छा का जहां तक संभव हो, सम्मत किया जाना और तदनुसार प्रभावी किया जाना चाहिए।

(14) तथापि, जन्मदाता माता-पिता को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि बालक किसी ऐसे विदेशी व्यक्ति को भी दत्तक में दिया जा सकता है जो उस धर्म से भिन्न धर्म में दीक्षित है जो जन्मदाता माता-पिता का है क्योंकि अंततोगत्वा बालक का सर्वोत्तम हित ही, विदेशी व्यक्ति को दत्तक में बालक देने के लिए एकमात्र मार्गदर्शी कारक और सर्वोपरि विचार होना चाहिए।

निराश्रित या परित्यक्त बालक

5.9. जहां कोई बालक अनाथ, निराश्रित या परित्यक्त है और माता-पिता ज्ञात नहीं हैं, वहां उस सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण को, जिसकी देख रेख में बालक आ गया है, बालक के जन्मदाता माता-पिता की खोज करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(क) यदि जन्मदाता माता-पिता को खोजा जा सकता है और यदि यह पाया जाता है कि वे, बालक को, वापस नहीं लेना चाहते, तब जहां तक संभव हो उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए जिसके बारे में अपने जन्मदाता माता पिता के साथ रहने वाले बालकों के लिए पहले की गई चर्चा में, बतलाया गया है।

(ख) किंतु, यदि किसी कारण से जन्मदाता माता-पिता का पता नहीं लग सकता है, तो उनकी सहमति लेने या उनसे परामर्श करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

(ग) तब, यथोपरि (ख) के अधीन मामलों के वर्ग में, बालक की या अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अंतर्ग्रस्त बाल या समाज कल्याण अभिकरण की सहमति, प्राथमिक रूप से आवश्यक है। यह संस्था परक सहमति, अन्ततः बालक के सर्वोत्तम हित के एकमात्र उपादान और सर्वोपरि विचार द्वारा मार्गदर्शित होनी है।

जब कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय बालक को दत्तक लेना चाहता है

5.10. किसी विदेशी माता-पिता को बालक दत्तक दिए जाने की अनुज्ञा देने में अत्यधिक सतर्कता बरती जानी है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से बालकों का दुरुपयोग या शोषण न हो। बालकों की मुनाफाखोरी और दुर्व्यापार की संभावना को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

इसलिए किसी विदेशी व्यक्ति से, गृह अध्ययन रिपोर्ट[9] सहित आवेदन उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समाज कल्याण अभिकरण द्वारा प्रवर्तित होना आवश्यक है, जिस देश में विदेशी व्यक्ति अधिवसित है और उसके साथ ऐसे प्रमाणपत्र, घोषणाएं और दस्तावेज[10] होने चाहिएं जो आवश्यक हों। [11]

यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भावी दत्तक माता-पिता के देश में प्रवेश करने में बालक के सामने कोई अड़चन नहीं है। बालक के यात्रा संबंधी दस्तावेज उचित समय पर अभिप्राप्त कर लिए जाते हैं, भावी दत्तक माता पिता के देश का कानून, बालक का विधिक प्रास्थिति तथा विरासत के अधिकार अर्जित होने चाहिए जो प्रकृत जन्में बालक के हैं और उसे दत्तक-ग्रहण के देश का नागरिक हो जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्राधिकारी और मान्यताप्राप्त संस्थाओं की भूमिका

5.11. मान्यताप्राप्त बाल कल्याण अभिकरण द्वारा, किसी भारतीय कुटुंब में दत्तक ग्रहण में बालक के लिए स्थानन पाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। केवल तभी, जब दो मास की अधिकतम अवधि के भीतर बालक को दत्तक लेने के लिए कोई भारतीय कुटुंब आगे नहीं बढ़ता है, उस बालक को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलभ्य माना जा सकता है। तथापि यदि बालक विकलांग है या स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है और अतिशीघ्र चिकित्सीय परिचर्या अपेक्षित है, तो मान्यताप्राप्त समाज कल्याण अभिकरण के लिए दो मास की अवधि के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और वह ऐसे बालक को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में देने के प्रयोजन के लिए तत्काल प्रयास कर सकता है और ऐसा करना आवश्यक होगा।

अप्राधिकृत व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा किए जा रहे प्राइवेट दत्तक ग्रहण, रोक दिए जाने चाहिए।[12] दत्तक ग्रहण में बालक को लेने के लिए किसी आवेदन पर, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बाल कल्याण अभिकरण के माध्यम से ही यह सुनिश्चित करने के लिए[13] कार्रवाई की जानी चाहिए कि :

(क) बालकों की मुनाफाखोरी और दुर्व्यापार की संभावना का विलोपन हो।

(ख) उचित और समाधानप्रद गृह अध्ययन रिपोर्ट हो जिस पर न्यायालय विश्वास कर सके और यह विनिश्चय कर सके कि क्या कोई विदेशी व्यक्ति, बालक के लिए माता पिता के रूप में उपयुक्त होगा और ऐसे दत्तक ग्रहण से संभाव्यतः उत्पन्न होने वाली पार-प्रजातीय, पार-सांस्कृतिक और पार-राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझा सकेगा।

(ग) विदेशी व्यक्ति के देश में वह प्राधिकारी या अभिकरण, जिसे बालक की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकेगा कि बालक विधि के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र दत्तक लिया जाता है और उसको सुनिश्चित नैतिक तथा भौतिक सुरक्षा सहित हार्दिकता और स्नेह के परिवेश में बढ़ता है।

किसी विदेशी व्यक्ति से भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, मान्यताप्राप्त अभिकरण भारतीय बालक को दत्तक लेने के लिए इच्छुक विदेशी व्यक्ति से ऐसे बालक के दत्तक ग्रहण का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे उपयुक्त बालक का फोटोग्राफ और बाल अध्ययन रिपोर्ट भेज सकेगा जो भावी दत्तकग्रहीता के परिवेश और समुदाय में उपयुक्त हो सके।

बाल अध्ययन रिपोर्ट[14] जिसमें बालक की बाबत विधिक और सामाजिक डाटा अंतर्विष्ट हो, मान्यताप्राप्त समाज कल्याण अभिकरण द्वारा तैयार की जाती है।

5.12. प्रक्रियात्मक रक्षोपाय, जैसे न्यायालय द्वारा अधिकथित हैं संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

(1) दत्तक ग्रहण आवेदन की कार्यवाहियां न्यायालय द्वारा, शीघ्रतापूर्वक और जहां तक संभव हो सके, बालक की संरक्षकता के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।[15]

(2) संरक्षकता के आवेदन पर कार्यवाहियां बंद कमरे में[16] की जानी चाहिए और जैसे ही आवेदन पर कोई आदेश किया जाता है संपूर्ण कार्यवाहियां, कागजात और दस्तावेजों सहित मुहरबंद की जानी चाहिए।

(3) जब न्यायालय द्वारा किसी बालक का संरक्षक नियुक्त करने का आदेश किया जाता है तब उसकी सूचना[17] तुरन्त कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और उस राज्य की सरकार के जिसमें न्यायालय स्थित है समाज कल्याण मंत्रालय को दी जाएगी।

(4) यह वांछनीय[18] है कि कोई बालक यथासंभव, तीन वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में दिया जाए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तीन वर्ष से अधिक आयु वाले बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में नहीं दिए जाने चाहिएं। सात वर्ष से अधिक आयु वाले बालक भी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में दिए जा सकते हैं किन्तु उनकी इच्छाएं अभिनिश्चित की जानी चाहिएं कि क्या वे कोई अधिमान उपदर्शित करने की स्थिति में हैं।

(5) वह बालक जिसके निवास का कोई स्थान नहीं है, साधारणतः उस स्थान का निवासी होगा जहां पर वह समाज कल्याण अभिकरण या व्यक्ति की अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर बालक साधारणतः निवास कर रहा है, बालक को दत्तक लेने की इच्छा रखने वाले किसी विदेशी व्यक्ति के लिए मान्यता प्राप्त समाज कल्याण अभिकरण द्वारा किए गए संरक्षता के आवेदन पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। [19]

(6) अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों के नाम पर बालकों के व्यापार को समाप्त करने के क्रम में बाल कल्याण अभिकरण विदेशी व्यक्ति द्वारा बालक का चयन किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जिसको बालक अपने नए गृह को पाने के लिए वहां से जाता है, विधि सम्मत रूप से भावी दत्तक माता-पिता से भरण पोषण खर्चे[20] और ऐसे समाज कल्याण अभिकरण द्वारा बालक के लिए वस्तुतः उपगत चिकित्सीय व्यय, जिसमें अस्पताल में रखे जाने के व्यय, यदि कोई हैं, भी प्राप्त कर सकेगा।

(7) विदेशी व्यक्ति किसी समाज या बाल कल्याण अभिकरण को, स्वैच्छिक दान देने से प्रवारित नहीं है किन्तु उससे ऐसा कोई दान, बालक के उसके देश पहुंच जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

5.13. उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि भारत सरकार एक केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण [22] (जिसे इसमें इसके पश्चात "के० द० सं० अ०" कहा गया है) कुछ ऐसे केन्द्रों पर, जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों में सक्रिय हैं, प्रादेशिक शाखाओं सहित गठित करे। ऐसे के० द० सं० अ० से यह आशा की जाती है कि वह अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बालकों की बाबत सूचना के निकासी गृह के रूप में कृत्य करे और विदेश में समाज या बाल कल्याण अभिकरण द्वारा, विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों को दत्तक लेने के लिए सभी आवेदन के० द० सं० अ० को अग्रेषित किए जा सकते हैं और वह अपनी बारी में उन्हें देश में मान्यता प्राप्त एक या दूसरे समाज या बाल कल्याण अभिकरण को अग्रेषित कर सकेगा।

5.14. न्यायालय ने, बाल कल्याण अभिकरणों की मान्यता[23] के लिए निम्नवत शर्तें अधिकथित की थीं :

(क) अभिकरण के पास, वृत्तिक सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले समुचित कर्मचारिवृन्द होने चाहिएं।

(ख) यह केवल ऐसा संगठन है जो बालक देखरेख और कल्याण के कार्य में लगा है जिसे मान्यता के लिए पात्र मानना चाहिए क्योंकि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को

अपने आप में एक स्वतंत्र क्रियाकलाप नहीं अपितु इसे बाल कल्याण कार्यक्रम का एक भाग मानना चाहिए ताकि वह व्यापार में विकृत होने की ओर न बढ़ सके।

(ग) अभिकरण को समुचित लेखा रखने चाहिएं जिनकी प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(घ) उसे, किसी विदेशी व्यक्ति से, जो किसी बालक को दत्तक लेना चाहता है, उसके द्वारा विधिक या अन्य खर्चों के रूप में वस्तुतः उपगत किसी रकम से अधिक रकम, जिसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, फाइलिंग और अग्रसमय किए गए कार्य और उठाए गए कष्ट के लिए, जैसा न्यायालय द्वारा नियत किया जाए पारिश्रमिक या मानदेय भी है, प्रभारित नहीं करनी चाहिए।

5.15. मान्यताप्राप्त अभिकरण के कर्तव्य[24] निम्नवत् होंगे :

(क) उसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में दिए जाने वाले सभी बालकों के नाम और विशिष्टियों का एक रजिस्टर रखना चाहिए।

(ख) उसे किसी वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता से बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाना चाहिए ताकि विदेशी व्यक्ति, बालक को दत्तक लेने के विषय में कोई विनिश्चय कर सके।

(ग) यह न्यायालय को भी यह विनिश्चय करने में सहायक हो कि यह किसी विदेशी व्यक्ति को दत्तक ग्रहण में दिए जाने वाले बालक के कल्याण के लिए होगा।

5.16. भारत सरकार को, राज्य सरकार की सहायता से, मान्यताप्राप्त समाज या बाल कल्याण अभिकरणों की, उनके नाम, पता और अन्य विशिष्टियों के साथ सूची[25] तैयार करने का और ऐसी सूची ऐसे विदेश के समुचित विभागों को भेजने का, जहां भारतीय बालक साधारणतः दत्तक में लिए जाते हैं, निदेश किया गया था ताकि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए ऐसे विदेश की सरकार द्वारा सूचीबद्ध या मान्यताप्राप्त समाज या बाल कल्याण अभिकरणों को यह ज्ञात हो जाए कि भारत में उन्हें किस समाज या बाल कल्याण अभिकरणों को दत्तक ग्रहण में भारतीय बालकों को लेने के लिए उसके राष्ट्रिक के आवेदन पर कार्रवाई के लिए पहुंचना चाहिए। ऐसी सूची भारत सरकार को, प्रत्येक उच्च न्यायालय को भी इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे इसे अपनी अधिकारिता के भीतर जिला न्यायालयों को अग्रेषित करे ताकि देश में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को ज्ञात हो जाए कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में भारत में कार्यरत मान्यता प्राप्त बाल कल्याण अभिकरण कौन से हैं।

5.17. केन्द्रीय सरकार को, प्रत्येक ऐसे विदेशी राज्य की सरकार द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त समाज या बाल कल्याण अभिकरणों की सूची[26] तैयार करने का, जहां भारत से बालक दत्तक में लिए जाते हैं, और उसकी प्रतियां विभिन्न उच्च न्यायालयों को तथा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में भारत में कार्यरत मान्यता प्राप्त बाल कल्याण अभिकरणों को भेजने का निदेश दिया गया था।

5.18. केन्द्रीय सरकार से पूर्वोक्त सूची[27] भावी दत्तक माता पिता के देश में समय समय पर इस अनुरोध के साथ भारतीय दूतावास या उच्चायोग को भेजने की अपेक्षा है कि वे ऐसे बालकों के कल्याण और प्रगति पर, उन्हें किसी दुर्व्यवहार या शोषण से या किसी अन्तरस्थ प्रयोजन से रक्षोपाय के क्रम में निगरानी रखें और उपेक्षा या शोषण की किसी घटना की रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए भारत सरकार को तत्काल भेजें।

5.19. उच्चतम न्यायालय द्वारा, अपने निर्णय और अनेक आदेशों में अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धांत व्यापक हैं । विधि आयोग का यह मत है कि विधि के संहिताकरण में इन न्यायिक मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखना वांछनीय है क्योंकि ये अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए सुसंगत ह ।

पाद टिप्पण--अध्याय 5

1. मार्गदर्शी सिद्धांत, लक्ष्मी कांत पाण्डेय **बनाम** भारत संघ, (1984) 2एस सी आर 795 में अधिकथित हैं और लक्ष्मीकान्त पाण्डेय **बनाम** भारत संघ ए आई आर 1987एस सी 232 और लक्ष्मीकान्त पाण्डय **बनाम** भारत संघ, जे टी 1991 (3) एस सी 582 में इनकी व्याख्या की गई थी। जयकबीन सालेनों केस ए आई आर 1988 बाम्बे 139, ए स० सी० आर्डर 6 अगस्त, 1993 आदि भी देखिए ।
2. **इन रे : आर सी मेहता,** ए आई आर 1982, गुजरात 193
3. मुम्बई उच्च न्यायालय ने 10 मई, 1972 को उच्च न्यायालय, मुम्बई नियम (मूल शाखा) 1957 के अध्याय 20 में नियम 371-ख का समावेश करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी।
4. उच्च न्यायालय, दिल्ली ने भी अनुदेश (1984) 2 एस सी आर 795 जारी किए हैं।
5. **इन रे: आर सी मेहता,** ए आई आर, 1982 गुजरात 193
6. **एस० के० पाण्डेय बनाम भारत संघ** (1984) 2 एस सी आर पृष्ठ 826-828
7. वही पृ० 835; 836; 848
8. उपरि, पृ० 838
9. परिशिष्ट ग
10. परिशिष्ट घ
11. **एल० के० पाण्डेय बनाम भारत संघ** (1984) 2एस सी आर पृ० 833-834
12. उपरि, पृ० 837
13. उपरि, पृ० 832
14. परिशिष्ट ङ
15. उपरि, पृ० 845--847
16. उपरि, पृ० 847
17. उपरि, पृ० 847
18. उपरि, पृ० 845
19. एल० के० पाण्डेय (1984) 2एस सी आर पृ० 795, 843 में उद्धृत 1982 भी प्रकीर्ण याचिका सं० 178
20. उपरि, पृ० 842
21. उपरि, पृ० 842
22. उपरि, पृ० 839--840
23. उपरि, पृ० 837-838
24. उपरि, पृ० 838
25. उपरि, पृ० 839
26. उपरि, पृ० 839
27. उपरि, पृ० 848

अध्याय 6

बाल कल्याण अभिकरणों की भूमिका

6.1. केवल वही बाल कल्याण अभिकरण जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण का भार अपने उपर ले सकता है, जिसके प्रयोजन के लिए कोई विनिदिष्ट कानूनी विधि[1] हमारे देश में प्रवृत्त नहीं है । इसीलिए उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण निर्णय में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890[2] और अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकथित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों[3] और घोषणाओं पर निर्भर होना पड़ा था जिनके प्रति पूर्ववर्ती अध्यायों में पहले ही निर्देश किया जा चुका है ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने साधारण जनता, स्वैच्छिक अभिकरणों और साथ ही विषय वस्तु[4] से संबद्ध अन्य सभी की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए ।

6.2. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त और कार्यरत समाज कल्याण अभिकरणों पर आबद्धकर है । ऐसे स्वैच्छिक अभिकरणों की, भूमिका जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित हैं, अवधारित, विनियमित और पर्यवेक्षित की जाती है

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण में लगे हुए विदेशी अभिकरणों की भूमिका के बारे में भी विचार किया गया है। विदेशी अभिकरणों से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी मान्यता के लिए भारत के राजनयिक मिशनों की आवेदन करें ताकि विदेश ले जाए गए बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।

6.3. जानकारी एकत्र करने के लिए, विधि आयोग ने ऐसे 41 बाल कल्याण अभिकरणों को पत्र भेजा[5] जो अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थानन के प्रयोजन के लिए के० द०सं०अ० द्वारा मान्यताप्राप्त[6] है कुल 31 अभिकरणों[7] ने पत्र का उत्तर दिया। विधि आयोग द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण में प्राप्त व्यावहारिक कार्यकरण अनुभवों और उनके द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का पता लगा।

6.4. आरंभ में ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत सभी मान्यताप्राप्त बाल कल्याण अभिकरणों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शीय सिद्धान्तों का अनुकरण करने में अपनी रजामंदी और योग्यता दर्शायी है। संस्था परक पृष्ठभूमि और उत्तरदाता अभिकरणों की मूल्य प्रतिबद्धता उनके अपने-अपने उत्तरों से प्रकाश में आ गई है । ये अभिकरण, ऐसे संकटग्रस्त शिशुओं के लिए बाल गृहों का संचालन कर रहे हैं जो उनके पास, पुलिस द्वारा लाए जाते हैं या अविवाहित माताओं द्वारा त्याग दिए जाते हैं । उनका विश्वास है कि समाज अपने बालकों का मूल्य समझे और उनके परित्याग की समस्या को सुलझाए ।

6.5. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न बाल कल्याण अभिकरणों ने, अपने उत्तरों में विदेशी अभिकरणों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण से संबंधित

स्कीम का कार्यकरण की मुख्य शर्तें बतलाई थीं। उन अभिकरणों को अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ा है और उन्होंने उन समस्याओं के निराकरण के लिए तथा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के उपबंध के लिए संपूर्ण स्कीम का सुचारु कार्यकरण सुकर बनाने के लिए भी सुझाव दिए हैं। उनके उत्तरों और उनमें दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी विचार किय है। आयोग, इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त करता है। उत्तरों के ब्यौरे उपाबंध 1 में अंतर्विष्ट हैं। उत्तरों की गहरी छानबीन और उनका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि अभिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव, एक महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाता है कि आम विश्वास के प्रतिकूल विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक लिए गए भारतीय बालकों की देख-भाल अच्छी तरह की जाती है और उन्हें उनके विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलते हैं। हमारे मत में, उनके लिए यह चौका देने वाली स्थिति होनी चाहिए जो विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के विरुद्ध आशंका व्यक्त करते या गलत जानकारी फैलाते हैं यह सब उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वियन के कारण और केन्द्रीय सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा ली गई विशेष रुचि के कारण भी संभव हुआ है।

इन उत्तरों में अन्तर्विष्ट मूल्यवान मतों और सुझावों को, हमने अपनी सिफारिशों और प्रस्तावित विधान के प्रारूपण में भी विचार में लिया है। अतः हम यह आवश्यक नहीं समझते कि इन उत्तरों पर विस्तृत रूप से अपना अभिमत व्यक्त करें। इनमें से कुछ सुझाव, व्यवहार्य नहीं है और इसीलिए हमने उनके कार्यान्वियन के लिए सिफारिश नहीं की है।

6.6. बाल कल्याण अभिकरणों के सामने आई उन समस्याओं और उनके द्वारा दिए गए उन सुझावों को, जो इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, सारतः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है :—

1. दत्तक ग्रहण संबंधी विधि "बाल केंद्रित" होनी चाहिए और उसमें अग्रता के आधार पर बालकों के हितों को देखा जाना चाहिए।

2. भारत में बालकों के दत्तक ग्रहण का उपबंध करने वाली, हिंदुओं की स्वीय विधि के सिवाय, कोई कानूनी विधि नहीं है और एक पंथनिरपेक्ष विधि होने की आवश्यकता है जो दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थकारी और अनुज्ञापक होनी चाहिए ताकि जरूरतमन्द बालक के लिए गृह का उपबंध किया जा सके।

3. किसी बालक के विदेशी कुटुंब में स्थानन के पूर्व बालक के लिए किसी भारतीय कुटुंब का पता लगाने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। किसी विशिष्ट बालक के लिए, स्थानन अभिकरण के पास कुटुंब अनुपलम्य होने पर ही, प्रत्येक राज्य के भीतर स्वैच्छिक समन्वय अभिकरण (स्वै०स०अ०) के माध्यम से सहायता लेनी चाहिए तथा किसी उपयुक्त भारतीय कुटुम्ब के न मिल पाने पर ही अन्य दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पता लगाया जा सकता है।

स्वैच्छिक समन्वय अभिकरण में ऐसे कार्मिक होने चाहिएं जो विदेशी दत्तक ग्रहण के लिए बालकों के स्थानन में अंतर्ग्रस्त न हो। केवल उन्हीं बालकों को, जो हमारे देश में स्थानन योग्य नहीं हैं, विदेशी दत्तक ग्रहण में रखा जाना चाहिए। देश के भीतर, बालक के स्थानन के लिए, विधि द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारणी विहित की जानी चाहिए जिसके न हो सकने पर बालक को विदेशी दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र मानना चाहिए।

4. ऐसी पत्नी या ऐसे पति को, जो अपने पति या अपनी पत्नी द्वारा एक वर्ष से अधिक के लिए अधित्यक्त कर दी गई है/दिया गया है, यदि आवश्यक हो, तो पांच वर्ष से कम आयु के बालक को विधितः किसी अनाथालय में छोड़ देने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। इससे बालक के दुरुपयोग का निवारण होगा। बालक की अभिरक्षा रखने वाली पत्नी या वाले पति को, ऐसे बालक के किसी अनाथालय में अभ्यर्पण के लिए एक मात्र संरक्षक माना जाना चाहिए।

5. यदि कोई अभिकरण, किसी बालक के प्रस्तावित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए निकासी प्रमाणपत्र के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को एक बार आवेदन करता है और 15 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो बालक के हित में, उसके लिए शीघ्रताशीघ्र कौटुंबिक जीवन के प्रेम और स्नेह का उपबंध करने के लिए, अनुज्ञा दे दी गई मान लेनी जाहिए।

विकलांग बालकों को, विदेश में स्थानन के लिए, के०द०सं०अ० से निकासी की अपेक्षा से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों के लिए, विशेष देखरेख, परिचर्चा और उपचार, जिसमें शल्यक्रिया भी है, जरूरी है तथा विदेश के ऐसे कुटुंब भी है, जो ऐसे बालक को ले इच्छुक हैं किन्तु निकासी आवेदनों में लगने वाले समय के कारण, अंततः इस विषय को अग्रसर करने की इच्छा नहीं रखते हैं।

अतः यह सुझाव है कि के०द०सं०अ० को मात्र अनुश्रवण निकाय होना चाहिए और उन आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से जो नियमित रूप से उसे भेजी जाती है, और राज्यों में अपने साधनों के माध्यम से निरीक्षण कराकर विभिन्न अभिकरणों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

6. प्रथम अधिमान, दत्तक ग्रहण के लिए भारत में किसी भारतीय कुटुंब का पता लगाना है, जिसके न हो सकने पर दूसरा सर्वोत्तम कुटुंब विदेश स्थित भारतीय कुटुंब है और उसके पश्चात् ही अंत में विदेशी कुटुंबो पर विचार किया जाना चाहिए।

विदेश स्थित भारतीय कुटुंबों में बालकों के स्थानन के लिए, यह अनिवार्य नहीं है कि उनके आवेदन, ऐसे विदेशी अभिकरणों के माध्यम से आएं जो भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है। अनिवासी भारतीयों के आवेदन, अनुवर्ती रिपोर्टों के माध्यम से नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय अभिकरणों के माध्यम से आने चाहिए।

7. दत्तक माता-पिता संदत्त प्रसूति छुट्टी के तुल्य बालक देखरेख छुट्टी की वैसी प्रसुविधा का उपभोग करेंगे। यह बालक के भावात्मक समायोजन और शारीरिक विकास में सहायता के लिए अनिवार्य है।

8. दत्तक लिए गए बालक को, अपने माता-पिता के रूप में दत्तक माता–पिता के नाम के साथ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसका कारण यह है कि किसी बालक के लिए एक ऐसे शपथ पत्र के साथ, जिसमें उसके जन्म और परित्याग की परिस्थितियां दी गई हों, कृत्य करना असम्मान जनक होता है। गोवा में दत्तक बालक को प्राचीन काल से ही अधर्मज माना जाता रहा है, वहां पर कार्य कर रहे एक समाज कल्याण अभिकरण ने ऐसा सूचित किया है। वहां पर अधर्मज बालकों को गृह सेवकों के रूप में सेवा करने के लिए पालन-पोषण करने की प्रथा है और उन्हें असंयत अर्थ में दत्तक कहा जाता था।

5—2 M of L &J/ND/95

सुझाव है कि यदि दत्तक दिए गए बालक के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के रूप में दत्तक माता-पिता के नाम अंतःस्थापित कर दिए जाएं तो इस प्रथा को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

9. स्वीडन में अधर्मज बालक की कोई संकल्पना नहीं है और इसी लिए, बालक को उसके जन्म की प्रास्थिति के कारण समाज द्वारा नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता। सोसाइटी का और साथ ही साथ राज्य का यह कर्तव्य है कि बालकों को उनका कोई दोष न होने के कारण अधर्मजता के लांछन से बचाया जाए।

इन परिस्थितियों में बालकों की अधर्मजता की संकल्पना, विधि द्वारा हटाई जानी चाहिए।

10. देखने में आया है कि विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा, दत्तक ग्रहण के मामलों को सुलझाने में, उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बावजूद, न्यायालयों द्वारा पर्याप्त विलम्ब किया जाता है। इस विलम्ब के कारण कभी कभी विदेशी दत्तक माता-पिता इतने अधीर हो जाते हैं कि वे दत्तक ग्रहण के लिए किसी अन्य देश को दूसरे बालक के लिए खोज आरंभ कर देते हैं।

यद्यपि दत्तक ग्रहण निम्न अधिमान वाला क्षेत्र है फिर भी कई मामलों में एक साथ कई मास व्यतीत हो जाते हैं जब दत्तक ग्रहण के मामलों की सुनवाई के लिए कुछ स्थानों पर कोई न्यायाधीश उपलभ्य नहीं था जो प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता और बालकों के लिए अत्यधिक चिन्ता का कारण बन गया था।

इसीलिए संरक्षकता के आवेदनों को, कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा निपटाया जाना चाहिए जो कौटुम्बिक जीवन को भावात्मक पहलुओं को समझते हैं।

11. हालांकि उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में दिए जाने के लिए प्रस्तावित बालक का पास-पोर्ट एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाना चाहिए, फिर भी पास-पोर्ट प्राधिकारी, पास-पोर्ट जारी करने में महीनों लगा देते हैं। अतः सुझाव है कि पास पोर्ट दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

12. विदेशी अभिकरण द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति बंधपत्र की सीमा को, पांच लाख रूपए से, जैसा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अब अधिकथित है, कम करके कुछ उचित सीमा तक किया जाना आपेक्षित है।

13. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण कर रहे अभिकरणों के लिए दी जाने वाली अनुज्ञप्ति सम्प्रति एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष के लिए होनी चाहिए। यह विदेशी दत्तक ग्रहण में भारतीय बालकों के स्थानन की अनवरत प्रक्रिया में सहायक होगा।

14. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण में कोटा बढ़ाने की बाबत मार्गदर्शी सिद्धान्त, भारत में सभी समुदायों के लिए दत्तक ग्रहण की एक समान विधि लाने के पश्चात् ही अधिकथित किए जाने चाहिए।

15. भारतीय बाल कल्याण अभिकरणों को दत्तक लिए गए बालकों का स्थल अध्ययन करने का और सभी हित बद्ध पक्षकारों के साथ, विदेश में अपने दत्तक माता-पिता के साथ जीवन बिताने वाले इन बालकों के जीवन के बारे में प्रथम जानकारी बांटने का अवसर दिया जाना चाहिए।

16. यद्यपि भारतीय माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की संख्या, बढ़ रही है फिर भी कुटुम्ब सामान्यतः अपनी मर्जी के शिशुओं का चयन करते हैं। इस प्रकार, वे शिशु, जो कुपोषित हैं, गहरे काले रंग के हैं, विकलांग है, जिनकी चिकित्सीय समस्याएं है या विशेष देखरेख जरूरी हैं, भारत में गृह नहीं पाते। यदि हम अपने देश में इन बालकों के लिए कौटुम्बिक जीवन नहीं खोज पाते हैं, तो यह सुझाव है हमें उनके लिए विदेशी कुटुम्बों का चयन करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

17. बालक, माता-पिता की निर्धनता, उपेक्षा, दुरुपयोग या पालन पोषण के लिए अनेक बालक होने के कारण जीवन में अभिघात और गतिरोध से ग्रस्त होते है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि लघुतर कुटुम्ब इकाई का उपबंध और नारी बालक के लिए अभेदकारी सामाजिक प्रास्थिति का उपबंध करके विधि द्वारा परिवार कल्याण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

18. गोवा में, बालक पोर्तुगीज कोड के अधीन संरक्षकता में दिए जाते हैं जो गोवा में सभी समुदायों को लागू होता है। हालांकि गोवा में प्रवृत्त साधारण सिविल विधियां दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा नहीं देती है, हिन्दू, रूढ़ि और परंपरा विधि के अधीन दत्तक ग्रहण करते हैं किन्तु केवल निकटस्थ कुटुम्ब सदस्य, अधिमानतः दत्तक पिता के भाई की दूसरी संतान को ही दत्तक लेते हैं। तथापि, छोटे कुटुम्ब के प्रति वर्तमान रूझान को ध्यान में रखते हुए, रूढ़ि और परम्परा के अधीन यथा अनुज्ञात, बालक को दत्तक लेने के लिए पाना लगातार कठिन होता जा रहा था, और इसीलिए अनेक हिन्दू, दत्तक नहीं ले सके, अपितु केवल संरक्षकता ही पा सके, जैसा कि गोवा के अन्य समुदायों द्वारा किया जाता है। गोवा के लोग पूछते हैं 'आप हमसे दत्तक लेने की अपेक्षा कैसे करते हैं जब कि दत्तक ग्रहण की कोई विधि नहीं है।'

19. भारत में हमारे पास देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए एक समान और पंथ निरपेक्ष विधि होनी चाहिए।

20. समर्थ माता-पिता को एक बार में एक से अधिक बालक, दत्तक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वे सहोदर न हों और उनका अपना जीवित बालक, नर या नारी, हो।

21. किसी कुटुम्ब में सभी बालकों को जिनमें दत्तक बालक भी है संपत्ति का समान हिस्सा मिलना चाहिए।

6.7. देखने में आया है कि दिल्ली में कतिपय राजनयिक मिशनों ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण निर्देशक सिद्धांत प्रसारित किए थे-- इस पत्र में,[8] अन्य बातों के साथ साथ यह अभिकथित था कि "यह भारी चिंता का विषय है कि निहित हितों वाले वकीलों, प्राइवेट परिचर्या गृहों या व्यष्टियों द्वारा अनाशंकित विदेशी राष्ट्रिकों को गुमराह और पथ भ्रष्ट किया जाता है।" यह अभिकथित है कि अपने तीन बालकों वाले विदेशी माता-पिता द्वारा, विदेशी मिशन की पत्रिका "इन हाउस" में दिए गए एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में हस्पतालों को दत्तक ग्रहण आवेदन किए गए थे। कहा गया है कि प्रश्नगत विज्ञापन, अपने आप में शंकास्पद, था।

6.8. उपर्युक्त परिचर्या से पता लगता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए विधि आवश्यक है। बाल कल्याण अभिकरणों ने दत्तक ग्रहण पर एक रूप तथा पंथ निरपेक्ष विधि के लिए सुझाव दिया है। तथापि, विधि आयोग का यह विचार है कि इस रिपोर्ट का विस्तार अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण तक ही सीमित है, अत: इस विषय पर कोई मत व्यक्त करना संभव नहीं है।

पाद टिप्पण—अध्याय 6

1. **लक्ष्मीकांत पाण्डेय** बनाम **भारत संघ** (1984) 2 एस सी आर 795
2. पूर्वोक्त
3. पूर्वोक्त
4. जुलाई, 1989 का संकल्प
5. परिशिष्ट च
6. परिशिष्ट छ
7. परिशिष्ट ज
8. दिल्ली, बाल कल्याण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय को संबोधित 28 अगस्त, 1992 का पत्र, विधि आयोग को अग्रेषित किया गया था।

अध्याय 7

सिफारिशें

7.1. इस रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों में हमने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा की है। इससे अन्तत: जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि साधारणत: दत्तक ग्रहण का, और विनियमन करने के लिए विशिष्टत: विदेशी माता पिता द्वारा परित्यक्त बालकों के दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए एक समान विधि की मांग है। अत: यह आवश्यक है कि ऐसे दत्तक ग्रहणों का विनियमन करने वाला एक समुचित विधान अधिनियमित किया जाए क्योंकि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में अंतर्विष्ट विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों का विनियम करने के लिए अपर्याप्त हैं। प्रस्थापित विधि में, बालकों की मुनाफाखोरी और उनका दुर्व्यापार समाप्त करने, विदेशी माता पिता द्वारा बालकों के दुरुपयोग और शोषण का निवारण करने और इन सबसे परे दत्तक में दिए जाने के लिए प्रस्थापित बालक का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय बालकों के विदेशी माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों का विनियमन किया जाना चाहिए।

7.2. आयोग का यह विचार है कि जन्मदाता माता पिता, बालक के पूर्व अभिवर्धन और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ कौटुंबिक वातावरण की व्यवस्था करते हैं। किन्तु ऐसे वातावरण किसी अनाथालय में रखे गए किसी परित्यक्त बालक के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे बालक का दत्तक ग्रहण, जन्मदाता कुटुंब के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापक है। दत्तक ग्रहण में किसी बालक को देने के प्रश्न पर विचार करते समय पहला अधिमान, भारतीय माता पिता को दिया जाना चाहिए, दूसरा चुनाव अनिवासी भारतीय माता पिता का किया जाना चाहिए और यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो बालक को विदेशी माता पिता को दत्तक ग्रहण में दिया जाना चाहिए। ऐसा बालक परित्यक्त हो सकता है और नहीं भी।

7.3. प्रस्थापित विधान में यह उपबंध किया जाना चाहिए कि दत्तक ग्रहण आदेश पारित हो जाने के पश्चात्, विदेशी व्यक्ति को बालक का संरक्षक होना चाहिए और उसके पश्चात् उसको बालक को अपने देश ले जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

7.4. अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण विधि की सिफारिश, विदेशी माता पिता द्वारा भारतीय बालकों की मुनाफाखोरी और उनका दुर्व्यापार समाप्त करने, विदेशी माता पिता द्वारा दत्तक लिए गए बालकों के दुरुपयोग और शोषण का पूरी तरह निवारण करने और विदेशी माता पिता को दत्तक में दिए जाने के लिए प्रस्थापित बालक का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विदेशी माता पिता द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों का विनियमन करने के लिए की जाती है।

7.5. प्रस्थापित विधि में किसी बालक का दत्तक ग्रहण, उसके जन्मदाता माता पिता की सहमति से, या किसी परित्यक्त बालक की दशा में, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त बाल कल्याण अभिकरण की सहमति से विनियमित किया जाना चाहिए। दी गई सहमति, विवाध्यता या उत्प्रेरणा से मुक्त और जन्मदाता माता पिता की दशा में उनके बालक के दत्तक ग्रहण के लिए उनकी सहमति की विवक्षाओं की बाबत

उचित परामर्श के पश्चात् होनी चाहिए। जब बालक में विवेक पूर्ण समझ हो तब उचित परामर्श के पश्चात् बालक की सहमति अभिप्राप्त की जानी चाहिए।

7.6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी बालक के दत्तक ग्रहण पर प्राधिकारी, दत्तक माता पिता को उसके माता पिता के रूप में उपदर्शित करते हुए एक जन्म प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

7.7. बालक को भारत से बाहर उसके प्रस्थापित दत्तक माता पिता के पास जाने में समर्थ बनाने के लिए पासपोर्ट, दो सप्ताह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

7.8. प्रस्थापित विधान में, दत्तक माता पिता के देश में बालक का, कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का उपबंध होना चाहिए।

7.9. प्रस्थापित विधि में यह उपबंध होना चाहिए कि प्रायोजक विदेशी अभिकरणों द्वारा पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त, या बालक के 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुत की जानी चाहिए। भेजी गई रिपोर्ट, प्रथम दो वर्ष में तिमाही, अगले तीन वर्षों में छमाही और उसके पश्चात् बालक के 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, यदि अपेक्षित हो, तो वार्षिक होनी चाहिए।

7.10. प्रस्थापित विधि में, हमारे मत में किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, यदि उसके देश की तत्संबंधी विधि के अधीन बालक को अंततोगत्वा दत्तक लिया जा सकता हो। दूसरे शब्दों में, यदि विदेशी व्यक्ति के देश की विधि दत्तक ग्रहण के लिए उपबंध नहीं करती है तो वह, भारतीय बालक को दत्तक लेने का हकदार नहीं होना चाहिए।

7.11. प्रस्थापित विधान में यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपबंध किया जाना चाहिए कि यदि विदेशी संरक्षक द्वारा प्रस्थापित दत्तक ग्रहण कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों के कारण विच्छिन्न हो जाता है तो उस दशा में, या तो बालक को भारत सरकार की या उसके द्वारा अभिहित किसी अन्य अभिकरण की सहमति से किसी अन्य उपयुक्त दत्तक कुटुंब में रखा जाना चाहिए या अंतिम अभिगम के रूप में, भारत के स्थानन अभिकरण को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

7.12. प्रस्थापित विधान में एक यह उपबंध होना चाहिए कि प्रायोजक विदेशी बाल कल्याण अभिकरण, भारत में अपना प्रतिनिधि रख सकते हैं जो बाल कल्याण कार्य में वृत्तिक अर्हताएं और अनुभव वाला भारतीय नागरिक हो सकता है। प्रतिनिधि को एक से अधिक विदेशी बाल कल्याण अभिकरण के लिए कृत्य नहीं करना चाहिए और उसे भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा से, ऐसे विदेशी बाल कल्याण अभिकरण के लिए और उसकी ओर से किसी भारतीय बैंक में खाता खोलने और उसे चलाने का अधिकार होना चाहिए।

7.13. जब कोई कुटुंब न्यायालय हो, तो प्रस्थापित विधि के अधीन दत्तक ग्रहण का विषय कुटुंब न्यायालय द्वारा अभिगृहीत और विनिश्चित किया जाना चाहिए, या जब कुटुंब न्यायालय नहीं है तक उस स्थान पर, जहां बालक साधारणतः निवास करता है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय, सक्षम न्यायालय होगा।

7.14. प्रस्थापित विधि के अधीन विषयों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, यह आवश्यक है कि न्यायालय में कार्यवाहियां शीघ्र निपटाई जाएं। यह सिफारिश की जाती है कि न्यायालय को अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए किसी आवेदन को निपटाने में साधारणतः 3 मास से अधिक का समय नहीं लगाना चाहिए और यह वांछनीय है कि कार्यवाहियां बंद कमरे में हों।

7.15. समय बीतने के साथ, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की भूमिका की क्षमता और तत्परता के सम्बंध में भारी मांग होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। वर्तमान के० द० सं० अ०, उसकी संरचना, जनशक्ति और कार्यकरण दशाओं के अनुसार एक कमजोर संगठन प्रतीत होता है। समुचित स्थानों पर के०द०सं०अ० की प्रादेशिक शाखाओं के साथ उसे एक प्रभावी संगठन बनाने की जरूरत है।

7.16. प्रस्थापित विधि के अधीन, के०द०सं०अ० को उसके कृत्यों के अनुपालन में समर्थ बनाने के लिए एक निधि की बाबत उपबंध किया जाना चाहिए।

7.17. के०द०सं०अ० की, प्रति वर्ष उसकी सही और पूर्ण गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करने वाली वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से संसद् के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उपबंध होना चाहिए।

7.18. प्रस्थापित विधि में, विदेशी और भारतीय बाल कल्याण अभिकरणों की मान्यता के लिए, और समुचित मामलों में उनकी मान्यता वापस लिए जाने के लिए भी शर्तें विहित होनी चाहिएं।

7.19. अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण सुचारू और प्रभावी रूप से हो, इसके लिए, केन्द्रीय सरकार के लिए उन देशों के साथ, जहां भारतीय बालक न्यायालय के आदेशों के अधीन उन देशों की विधियों के अनुसार, उनके वस्तुतः दत्तक ग्रहण के लिए ले जाए जाते हैं, द्विपक्षीय संधियां करना वांछनीय होगा।

7.20. जहां तक विधायी सक्षमता का प्रश्न है, संसद् को अनुच्छेद 246 (1) और सातवीं अनुसूची में सूची 1-संघ सूची की प्रविष्टि 14 के पठित अनुच्छेद 253 के अधीन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के विषय पर विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246(1) संसद् को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी भी विषय की बाबत विधियां बनाने के लिए अनन्य शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 253, अंतरराष्ट्रीय करारों, संधियों और अभिसमयों को प्रभावी करने के लिए संसद् को विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है। संघ सूची की प्रविष्टि 14 निम्नवत् है —

> "14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन।"

जैसा कि पहले बताया गया है भारत, बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और घोषणाओं का हस्ताक्षरकर्ता देश है। अभिसमयों को संसद् द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा ही प्रभावी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 246 (2) के अधीन, संसद् को सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित किसी भी विषय की बाबत विधियां बनाने की समवर्ती शक्ति है। दत्तक ग्रहण, जो देशीय और अंतर्देशीय दोनों हो सकता है, प्रविष्टि 5 के अधीन शामिल विषय है। इसलिए संसद् को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के साथ पठित अनुच्छेद 246(2) के अधीन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर विधि बनाने की शक्ति है। ऐसी विधि, अधिनियमित किए जाने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(ग) के अधीन विचारित अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के लिए सम्मान बढ़ाएगी।

7.21. उपर्युक्त परिचर्चा को ध्यान में रख कर, विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने के लिए विधि, अधिनियमित की जानी चाहिए और विधायी सुविधा के लिए प्रस्थापित अधिनियमिति का प्रारूप रिपोर्ट के परिशिष्ट "क" के रूप में उपाबद्ध है।

विधि आयोग यह आशा करता है कि सरकार, रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाएगी और बालकों के हितों के रक्षोपाय के लिए विधि अधिनियमित करेगी।

ह०/-
(न्यायमूर्ति के० एन० सिंह)
अध्यक्ष

ह०/-
(प्रो० डी० एन० सन्दंशिव)
सदस्य

ह०/-
(सी० एच० प्रभाकरराव)
सदस्य सचिव

ह०/-
(पी० एम० बख्शी)
सदस्य (अंशकालिक)

ह०/-
(एम० मार्कंरन)
सदस्य (अंशकालिक)

परिशिष्ट "क"

अन्तर्देशीय दत्तक-ग्रहण विधेयक, 199.....

(199 का विधेयक संख्यांक)

अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

अध्याय 1

प्रारंभिक

भारत गणराज्य के वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण अधिनियम, 199 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो,—

(क) "दत्तक-ग्रहण" से अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण अभिप्रेत है ;

(ख) "दत्तक-ग्रहण आदेश" से धारा 4 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है;

(ग) "बालक" से वह व्यक्ति चाहे नर हो या नारी, जो भारत का नागरिक है, अभिप्रेत है, जिसने उस तारीख को या उससे पहले अठारह बर्ष की आयु पूरी न की हो जिसको उस व्यक्ति के बारे में दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए आवेदन किया जाता है ;

(घ) "न्यायालय" से, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय, और जहां ऐसा न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है वहां जिला न्यायालय, अभिप्रेत है :

परन्तु, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य सिविल न्यायालय को इस अधिनियम में चर्चित सभी विषयों या उनमें से किसी के बारे में न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने के लिए सशक्त कर सकेगी और इस प्रकार सशक्त किए गए न्यायालय को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विषयों के बारे में और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, न्यायालय समझा जाएगा ;

(ङ) "विदेशी व्यक्ति" से (i) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है; या (ii) भारत का नागरिक है किंतु भारत में अधिवसित नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से भारत की केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "संस्था" से धारा 23 के अधीन मान्यताप्राप्त संस्था अभिप्रेत है ;

(ज) "अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण" से किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी बालक का दत्तक-ग्रहण अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

6—2 M of L&J/ND/95

अध्याय 2

दत्तक-ग्रहण आदेश : शर्तें और प्रभाव

3. **अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण.**—कोई अंतर्देशीय, दत्तक-ग्रहण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसे उपबंधों के उल्लंघन में किया गया दत्तक-ग्रहण शून्य होगा ।

4. **दत्तक-ग्रहण आदेश देने की शक्ति.**—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय, किसी विदेशी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य कर रही संस्था द्वारा विहित रीति से आवेदन किए जाने पर, दत्तक-ग्रहण आदेश दे सकेगा ।

5. **दत्तक-ग्रहण आदेश की शर्तें.**—यदि किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी आवेदन पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस देश के या भीतर विधि के अधीन किसी बालक को दत्तक लेने का आशय रखता है जिसमें वह अधिवसित है और उस प्रयोजन के लिए बालक को या तो तुरंत या एक अन्तराल के पश्चात् भारत से हटाने की इच्छा रखता है, तो न्यायालय, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए बालक को हटाने और, बालक का यथापूर्वोक्त दत्तक-ग्रहण लंबित रहने के दौरान उसकी देखरेख और अभिरक्षा आवेदक को देने के लिए प्राधिकृत करते हुए दत्तक-ग्रहण आदेश कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ सरकार द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि,—

(i) आवेदक, उसकी राय में, बालक को दत्तक लेने के लिए पात्र और उपयुक्त है ;

(ii) बालक के कल्याण और हितों को, आवेदक के अधिवास के देश की विधि के अधीन सुरक्षित रखा जाएगा ;

(iii) आवेदक ने, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निक्षेप, या बंधपत्र के रूप में या अन्यथा बालक के भारत प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए, यदि ऐसा किसी कारण से आवश्यक हो जाता है, समुचित व्यवस्था कर दी है;

(iv) आवेदक के देश की विधि में दत्तक-ग्रहण के लिए उपबंध है और आवेदक उसके देश की विधि के अनुसार बालक को दत्तक लेने का वचन देता है ;

(v) बालक को, विदेशी व्यक्ति के देश में दत्तक-ग्रहण की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार माना जाएगा मानो उसने दत्तक-गृहीता के विधिपूर्ण विवाह से जन्म लिया हो ।

6. **दत्तक-ग्रहण आदेश का प्रभाव.**—इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन दत्तक-ग्रहण आदेश किए जाने पर, बालक विदेशी आवेदक की अभिरक्षा में होगा, जिसे न्यायालय द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश किए जाने की तारीख से तब तक, जब तक कि बालक आवेदक के देश की विधि के अनुसार अंतिम रूप से गोद नहीं ले लिया जाता, बालक का संरक्षक माना जाएगा ।

अध्याय 3

विदेश व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों का दत्तक-ग्रहण

7. **व्यक्ति जो दत्तक ले सकेंगे.**—(1) उपधारा (2) और (3) के अधीन कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो स्वस्थ चित्त है, इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को दत्तक ले सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—पति या पत्नी द्वारा बालक के दत्तक-ग्रहण की दशा में यदि पति या पत्नी में से किसी ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन आयु की अपेक्षा पूरी हो गई है ।

(2) कोई विदेशी व्यक्ति, जो विवाहित है, केवल अपने लिए किसी बालक को दत्तक लेने का हकदार नहीं होगा; किन्तु पति और पत्नी संयुक्त रूप से किसी बालक को दत्तक ले सकेंगे ।

(3) किसी बालक को दत्तक लेने का इच्छुक विदेशी व्यक्ति बालक से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा होगा :

परन्तु न्यायालय किसी दशा में इस उपधारा की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी, किसी अधर्मज बालक की माता या उसका पिता या तो अकेले या, अपने पति या पत्नी के साथ, ऐसे बालक को दत्तक ले सकेगा, चाहे ऐसी माता या पिता ने—

(क) पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या न कर ली हो;

(ख) वह बालक से इक्कीस वर्ष बड़ी या बड़ा हो या न हो ।

8. **नारी बालक का दत्तक-ग्रहण.**—यदि विदेशी आवेदक अविवाहित पुरुष है तो किसी नारी बालक की बाबत तब तक कोई दत्तक-ग्रहण आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें दत्तक-ग्रहण आदेश किया जाना न्यायोचित है ।

9. **सहमति.**—(1) किसी बालक के बारे में दत्तक ग्रहण आदेश बालक के माता-पिता की या उस संस्था की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, बालक जिसकी देखरेख में है ।

(2) जहां बालक में दत्तक-ग्रहण के कृत्य को समझ पाने का युक्ति संगत विवेक है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को परामर्श दे दिया गया है और उसे दत्तक-ग्रहण आदेश के प्रभाव की सूचना है और उसने स्वतंत्र रूप से उसके लिए सहमति दे दी है ।

(3) वह रीति जिसमें उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट सहमति अभिप्राप्त की जा सकेगी, ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 4

न्यायालय की अधिकारिता शक्तियां और उसकी प्रक्रिया

10. **आवेदनों को, अधिकारिता रखने वाला न्यायालय ग्रहण करेगा.**—दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन उस न्यायालय में किया जाएगा जिसकी उस स्थान में अधिकारिता हो जहां दत्तक लिया जाने वाला बालक आवेदन की तारीख को साधारणतया निवास करता हो ।

11. **न्यायालय की शक्तियां और उसकी प्रक्रिया.**—(1) ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विहित किए जाए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, न्यायालय, दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन की सुनवाई में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है जो वह न्यायसंगत और ठीक समझे ।

(2) न्यायालय साक्ष्य के रूप में किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, सूचना या बात को, जो उसकी राय में आवेदन को निपटाने में सहायक हो सकती है, ग्रहण कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन कार्यवाही में, किसी भारतीय राजनयिक अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट या किसी भारतीय काउंसलर अधिकारी या किसी भारतीय राजनयिक अधिकारी के समक्ष किया गया और उस अधिकारी के, हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित बयान, उसमें कथित बातों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा, और उस व्यक्ति के, जो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऐसी रिपोर्ट या बयान पर हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर या उसकी शासकीय प्रकृति साबित करना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) न्यायालय, दत्तक-ग्रहण आदेश के लिए किसी आवेदन को सामान्यतः तीन मास की अवधि के भीतर निपटाएगा ।

12. **कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना.**—इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां यदि न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, या यदि दोनों में से कोई पक्षकार ऐसा चाहता है तो बंद कमरे में की जाएगी ।

13. **दत्तक-ग्रहण आदेश करने में विचारणीय बातें.**—(1) न्यायालय कोई दत्तक-ग्रहण आदेश करने के पूर्व यह समाधान कर लेगा :—

(क) कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था ने, जिसकी सहमति इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है और जिसको सहमति देने से अभिमुक्ति नहीं दी गई है, और वह दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रकृति और प्रभाव की बाबत सम्यक परामर्श के बाद अपनी सहमति दे दी है ;

(ख) कि अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित के लिए होगा ;

(ग) कि भारत में बालक के दत्तक-ग्रहण के लिए किए गए प्रयास असफल रहे हैं ;

(घ) कि दत्तक-ग्रहण के प्रतिफलस्वरूप कोई संदाय या इनाम ऐसे किसी संदाय या इनाम के सिवाय, जैसा कि न्यायालय मंजूर करे, किसी व्यक्ति ने न तो प्राप्त किया है और न प्राप्त करने का करार किया है और न किसी को संदाय किया है या इनाम दिया है और न ही ऐसा करने या देने के लिए उससे करार किया है ।

(2) यह अवधारित करने के लिए कि यदि दत्तक-ग्रहण आदेश किया जाता है तो क्या वह बालक के कल्याण के लिए होगा, न्यायालय आवेदक की सामाजिक, वित्तीय और आर्थिक प्रास्थिति तथा उसके स्वास्थ्य को, ध्यान में रखेगा ।

(3) दत्तक-ग्रहण आदेश करते समय न्यायालय ऐसे निबन्धन और शर्तें, अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, और विशिष्टतया दत्तक लेने वाले विदेशी व्यक्ति से बन्धपत्र द्वारा या अन्यथा, बालक की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था, यदि कोई हो, करने की अपेक्षा कर सकेगा जो न्यायालय के विचार में न्यायसंगत और उचित हो ।

(4) धारा 4 के अधीन न्यायालय द्वारा किया गया दत्तक-ग्रहण आदेश अंतिम होगा ।

अध्याय 5

निबंधन, प्रतिषेध, उल्लंघन और दंड

14. **किसी बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए भारत से बाहर हटाए जाने पर निबंधन.**—(1) धारा 5 के अधीन किसी आदेश के प्राधिकार के सिवाय किसी व्यक्ति के लिए, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा बालक के दत्तक-ग्रहण की दृष्टि से उसको भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना या भेजना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उल्लंघन में भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी बालक को भारत से ले जाता है या भेजता है या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा दत्तक-ग्रहण की दृष्टि से किसी व्यक्ति को बालक की देखरेख या के अंतरण के लिए कोई इंतजाम करता है या इंतजाम करने में भाग लेता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

15. **कतिपय संदायों का प्रतिषेध.**—(1) इस धारा के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति या संगठन के लिए, निम्नलिखित के प्रतिफलस्वरूप, किसी विदेशी व्यक्ति से कोई संदाय प्राप्त करना विधिपूर्ण नहीं होगा,—

(क) किसी बालक का दत्तक-ग्रहण; या

(ख) किसी बालक के दत्तक-ग्रहण के संबंध में दी गई सहमति; या

(ग) दत्तक-ग्रहण की दृष्टि से किसी बालक की देखरेख और अभिरक्षा का अंतरण, या

(घ) किसी बालक के दत्तक-ग्रहण के लिए कोई इंतजाम करना ।

(2) यदि किसी संस्था को, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा, बालक के संबंध में संस्था द्वारा उपगत खर्चों की बाबत न्यायालय के दत्तक-ग्रहण आदेश द्वारा कोई संदाय मंजूर किया जाता है तो उपधारा (1) लागू नहीं होगी ।

16. **विज्ञापनों पर निबंधन.**—न्यायालय की इजाजत के सिवाय, यह उपदर्शित करते हुए कि कोई विदेशी व्यक्ति, बालक को दत्तक लेना चाहता है या कोई बालक, दत्तक-ग्रहण के लिए उपलब्ध है, विज्ञापन प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

17. **दण्ड.**—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय 6

जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट

18. **जन्म प्रमाणपत्र जारी करना.**—जहां किसी बालक की बाबत दत्तक-ग्रहण आदेश किया जाता है और बालक के जन्म से संबंधित विशिष्टियां किसी विधि के अधीन दत्तक-ग्रहण आदेश के पूर्व रजिस्टर हो गई हैं, वहां ऐसी विशिष्टियों के सत्यापित उद्धरण देने के लिए तत्समय सशक्त प्राधिकारी, बालक की ओर से आवेदन किए जाने पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि बालक की बाबत दत्तक-ग्रहण आदेश प्रभावी हो गया है, बालक के जन्मदाता माता पिता के नामों के स्थान पर दत्तक माता पिता के नाम उपवर्णित करते हुए ऐसी विशिष्टियों का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा या जारी करवाएगा ।

19. **पासपोर्ट जारी करना.**—(1) यदि अधिनियम की धारा 4 के अधीन दत्तक-ग्रहण आदेश किया जाता है तो उस दशा में संस्था, उस बालक के लिए जिसके फायदे के लिए आदेश किया गया है, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन पासपोर्ट प्राधिकारी से पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगी ।

(2) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अध्यधीन इस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, पासपोर्ट प्राधिकारी सामान्यत: दो सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करेगा ।

अध्याय 7

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण संरचना, शक्तियां और कृत्य

20. **केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण.**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास के भीतर, एक केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण का गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण में एक अध्यक्ष और बाल कल्याण से संबंधित विषयों और बाल कल्याण संस्थाओं के प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले छह सदस्य होंगे :

परन्तु सदस्यों के आधे से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उनके अधिवेशन, कार्यवाहियों की विधिमान्यता और केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रभावी कृत्यकरण से संबंधित अन्य विषय विहित किए जा सकेंगे ।

(4) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण अपनी शाखाएं ऐसे स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, रख सकेगा ।

21. **केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण की शक्तियां और उसके कृत्य.**—(1) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए उपलभ्य बालकों और विदेशी दत्तक माता पिताओं की जानकारी के निकासी गृह के रूप में कृत्य करेगा ।

(2) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, विदेश की सरकार द्वारा स्थापित दत्तक-ग्रहण केन्द्रीय प्राधिकारी को जानकारी और बालक के कल्याण से संबंधित अन्य जानकारी, जो विहित की जाए, दे सकेगा ।

(3) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण,—

(क) बालक के और दत्तक माता पिता के बारे में उस सीमा तक, जहां तक दत्तक-ग्रहण के लिए आवश्यक है, जानकारी संगृहीत करेगा, संरक्षित रखेगा और आदान प्रदान करेगा ;

(ख) मान्यताप्राप्त विदेशी कल्याण संस्थाओं की सूची रखेगा ;

(ग) दत्तक माता पिता के देश के केन्द्रीय प्राधिकारी से बालक की प्रगति रिपोर्ट, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त करेगा ।

(घ) दत्तक-ग्रहण कार्यवाहियों को सुकर बनाएगा, अनुवर्ती कार्रवाई करेगा और शीघ्र पूरा कराएगा; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो विहित किए जाए ।

22. **केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण की निधि.**—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस निमित्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को ऐसे अभिदाय कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को उसके कृत्यों के अनुपालन में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे ।

23. **वार्षिक रिपोर्ट.**—केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, गत वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा जोखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी तथा सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

24. **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कार्य के लिए संस्थाओं को मान्यता.**—केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को मान्यता दे सकेगा ।

25. **संस्थाओं की मान्यता के लिए शर्तें.**—किसी संस्था को मान्यता दिए जाने के पूर्व केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण अपना यह समाधान करेगा कि संस्था,—

(क) केवल, अलाभप्रद उद्देश्यों का अनुसरण करती है ;

(ख) का प्रबंध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में प्रशिक्षित या अनुभव प्राप्त है, और

(ग) ऐसी अन्य शर्तों का समाधान करती है जो विहित किए जाएं ।

26. **संस्थाओं की मान्यता वापस लिया जाना.**—केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे, किसी संस्था की मान्यता वापस ले सकता है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा ।

27. **केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें.**— (1) मान्यता वापस लेने के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई संस्था, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, सरकार को अपील कर सकेगी ।

(2) ऐसी अपील पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 8

द्विपक्षीय करार

28. **विदेशों के साथ करार.**—केन्द्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् अधिकथित विषयों के प्रति विशेष निर्देश से, विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक लिए गए भारतीय बालक का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य देश के साथ करार कर सकती है :

(क) भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए उस देश के आवेदक की पात्रता और उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए ;

(ख) उस देश में प्रवृत्त दत्तक ग्रहण की तत्संबंधी विधि के अधीन बालक का शीघ्र दत्तक ग्रहण पूरा करने के लिए ;

(ग) उस देश में बालक का कल्याण मानीटर करने और आवधिक रिपोर्टों के लिए ;

(घ) उस देश के परिवेश में घुल-मिल जाने में बालक को समर्थ बनाने के लिए ;

(ङ) बालक के शोषण, विभेदीकरण और दुरुपयोग के निवारण और ऐसे कृत्यों से संबंधित मामलों के अन्वेषण और उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन दाण्डिक उपायों के लिए;

(च) बालक के समान अधिकारों और प्रास्थिति को सुनिश्चित करने के लिए मानो वह सभी प्रयोजनों के लिए दत्तक के विधिपूर्ण विवाह से उत्पन्न हुआ हो ;

(छ) वैकल्पिक पात्र और उपयुक्त माता-पिता द्वारा या भारत प्रत्यावर्तित होने पर, यदि यह किसी कारण से आवश्यक हो जाए तो दत्तक लिए जाने में बालक को समर्थ बनाने के लिए ; और

(ज) उस देश में बाल कल्याण के लिए कार्यरत बाल अभिकरणों की मान्यता के लिए।

29. **वे देश जिनके साथ कोई करार विद्यमान नहीं है.**—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दत्तक ग्रहण आदेश किया जाता है और उस देश ने, जहां के विदेशी माता-पिता हैं, कोई करार नहीं किया है, केन्द्रीय सरकार बालक का कल्याण, जिसके अंतर्गत बालक का प्रत्यावर्तन, यदि आवश्यक हो जाए, तो सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगी।

अध्याय 9

कठिनाइयों का निराकरण करने और नियम बनाने की शक्ति

30. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.**—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

31. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिसमें धारा 4 के अधीन दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन किए जाएंगे ;

(ख) धारा 5 के परन्तुक (iii) के अधीन प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए बालक को समर्थ बनाने के क्रम में निक्षेप या बंधपत्र के रूप में समुचित उपबंध ;

(ग) वह रीति जिससे बालक के दत्तक के लिए सहमति दी जा सकेगी और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी सहमति के संबंध में अन्य बातें;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों में किया जा सकेगा ;

(ङ) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के अधिवेशन की गणपूर्ति और उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 21 की उपधारा (2), उपधारा 3(ग) और उपधारा 3(ङ) के अधीन जानकारी का आदान-प्रदान ;

(छ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है ;

(ज) धारा 25 की उपधारा (घ) के अधीन किसी संस्था की बाबत मान्यता के लिए शर्तें ;

(झ) धारा 25 के अधीन किसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिए आधार;

(ञ) वह प्ररूप, रीति और अवधि, जिसके भीतर धारा 27 के अधीन सरकार को अपील की जा सकती है ;

(ट) कोई अन्य विषय जिसके लिए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा; यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7—2 M of L&J/ND/95

परिशिष्ट "ख"

बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक, 1980

(खंड 23 और 24)

23. **दत्तक-ग्रहण के लिए बालक का भारत से बाहर अपसारण करने पर निबंधन.**—(1) धारा 24 के अधीन आदेश के प्राधिकार के अधीन ही, किसी भी व्यक्ति के लिए, बालकों को, जो ऐसे भारत के नागरिक हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बालक के दत्तक-ग्रहण की दृष्टि से भारत से बाहर किसी स्थान पर ले लाना या भेजना, विधिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी बालक को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाएगा या भेजेगा या उस प्रयोजन के लिए बालक की देखरेख और अभिरक्षा किसी व्यक्ति को अंतरित करने का इन्तजाम करेगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में भारतीय कौंसलीय अधिकारी या भारतीय राजनयिक अधिकारी के द्वारा कोई रिपोर्ट या भारतीय कौंसलीय अधिकारी या भारतीय राजनयिक अधिकारी के समक्ष किया गया उस अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित अभिसाक्ष्य उसमें कथित बातों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा और उस अधिकारी के, जिसने ऐसी रिपोर्ट या अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर किया हो, उसमें हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा ।

24. **भारत से बाहर व्यक्ति द्वारा अन्तिम दत्तक-ग्रहण.**—(1) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवसित नहीं है, आवेदन किए जाने पर जिला न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदक जिस देश में अधिवसित है, उस देश की विधि के अधीन या उस देश में वह बालक को दत्तक लेना चाहता है और उस प्रयोजन के लिए बालक को, तुरन्त या किसी अन्तराल के पश्चात् भारत से बाहर ले जाने का इच्छुक है, तो न्यायालय आवेदक को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए बालक को ले जाने के लिए प्राधिकृत करने वाला और उसका पूर्वोक्त दत्तक-ग्रहण होने तक, उससे आवेदक की देखरेख और अभिरक्षा में देने वाला आदेश (जिसे इस धारा में अन्तिम दत्तक-ग्रहण आदेश कहा गया है) कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ केन्द्रीय सरकार का निम्नलिखित आशय का प्रमाणपत्र न हो, अर्थात्:—

(i) उसकी राय में आवेदक बालक को दत्तक लेने के लिए योग्य व्यक्ति है ;

(ii) बालक का कल्याण और हित आवेदक के आधिवास के देश की विधियों के अधीन सुरक्षित रहेंगे ;

(iii) यदि किसी कारण से ऐसा आवश्यक हो जाता है तो भारत में बालक संप्रत्यावर्तन को समर्थ बनाने के लिए आवेदक ने निक्षेप या बंधपत्र के रूप में या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उचित व्यवस्था कर ली है ।

(2) इस धारा के अधीन अन्तिम दत्तक-ग्रहण आदेश ऐसी किसी दशा में किया जा सकेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन बालक के बारे में दत्तक-ग्रहण आदेश दिया जा सकता है, किन्तु अन्य किसी दशा में ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा ।

(3) दत्तक-ग्रहण आदेश के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, इस धारा के अधीन किए गए अन्तिम दत्तक-ग्रहण के लिए आवेदक के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे ।

परिशिष्ट "ग"

गृह अध्ययन रिपोर्ट

1. संदर्भ स्रोत
2. एकल और संयुक्त साक्षात्कारों की संख्या
3. पति और पत्नी का व्यक्तित्व
4. स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरे जैसे कि नैदानिक परीक्षण, हृदय की स्थिति, गत रुग्णता, आदि (अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र/अपेक्षित बाध्यता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो)
5. सामाजिक प्रास्थिति और कौटुंबिक पृष्ठभूमि
6. प्रकृति और व्यवसाय से समाबोजन
7. समुदाय के साथ संबंध
8. गृह का वर्णन
9. बालक के लिए वासस्थान
10. विद्यालय संबंधी प्रसुविधाएं
11. गृह में सुख सुविधाएं
12. जीवन-स्तर जैसा गृह में प्रतीत होता है
13. आसपास की स्थिति
14. पति और पत्नी के बीच वर्तमान संबंध
15. (क) माता पिता और बालकों के (यदि कोई बालक है) वर्तमान संबंध
    (ख) पहले से ही दत्तक लिए गए बालकों का (यदि कोई हैं) विकास और दत्तक लिए जाने वाले बालक की उनको स्वीकार्यता ।
16. दम्पति और एक दूसरे के कुटुंब के सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध
17. यदि पत्नी कार्यरत है तो क्या वह कार्य छोड़ देने में समर्थ होगी ?
18. यदि वह कार्य नहीं छोड़ सकती तो बालक की देखभाल के लिए क्या इंतजाम करेगी ?
19. क्या विवाहित पक्षकारों में से किसी एक की बाध्यता के कारण दत्तक ग्रहण का विचार किया गया है ?
20. यदि नहीं, तो क्या संयोगवश उनके अपने बालक हो सकते हैं ?
21. यदि उनके यहां किसी बालक का जन्म होता है तो वे दत्तक लिए गए बालक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ?
22. यदि दंपति के पहले ही बालक हैं, तो वे बालक, दत्तक लिए गए बालक के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ?
23. प्रमुख सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव, जिनका बालक को दत्तक लेने के लिए उनकी इच्छा पर प्रभाव पड़ा हो ।
24. किसी भारतीय बालक को दत्तक लेने की आकांक्षा के लिए कारण ।

25. दत्तक ग्रहण के प्रति पितामह/पितामही और संबंधियों का दृष्टिकोण ।

26. किसी भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के प्रति संबंधियों, मित्रों, समुदाय और पास-पड़ोस का दृष्टिकोण।

27. दत्तक लिए गए बालक के लिए प्रत्याशित योजनाएं ।

28. क्या बालक, दत्तक माता पिता के देश में दत्तक ग्रहण विधि के अनुसार दत्तक लिया जा सकता है ?

    क्या उन्होंने दत्तक लेने के लिए आवश्यक अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली है ? (अनुज्ञा का विवरण अपेक्षित है)

29. क्या दत्तक माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने उनके अपने देश से या अन्य देश से किसी बालक को दत्तक लिया है ? वे कौन हैं ? कहां से वे उस स्रोत से बालक पाने में असफल रहे हैं ?

30. क्या दंपत्ति ने किसी अन्य स्रोत से किसी बालक के लिए आवेदन किया है ?

31. दंपत्ति की किस प्रकार के बालक में रुचि है ? (लिंग, आयु और किस कारण से)

32. कुटुम्ब के और उस प्रकार के बालक के संबंध में, जो इस गृह के सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कार्यकर्ता की सिफारिश ।

33. गृह अध्ययन करने वाले अभिकरण का नाम और पता। सामाजिक कार्यकर्ता का नाम और सामाजिक कार्यकर्ता की अर्हता ।

34. पश्च स्थानन, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्य के लिए उत्तरदायी अभिकरण का नाम

परिशिष्ट "घ"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय (1984) 2 एस सी आर पृष्ठ 795 में यथा उल्लिखित दस्तावेज, प्रमाणपत्र और घोषणाएं जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के आवेदन के साथ संलग्न की जानी हैं ।

(क) गृह अध्ययन रिपोर्ट ।

(ख) कुटुंब का नूतन फोटोग्राफ ।

(ग) विदेशी व्यक्ति का विवाह प्रमाणपत्र ।

(घ) स्वास्थ्य संबंधी घोषणापत्र, साथ ही किसी चिकित्सीय डाक्टर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता प्रमाणपत्र ।

(ङ) समर्थक दस्तावेजों के साथ जिसमें नियोजक का प्रमाणपत्र जहां कहीं लागू हो, आय-कर निर्धारण आदेश, बैंक प्रमाणपत्र और स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित विशिष्टियां भी हैं, वित्तीय प्रास्थिति की बाबत घोषणा ।

(च) यह कथन करते हुए एक घोषणा कि वे बालक का संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए रजामंद हैं ।

(छ) एक वचनबंध कि वे बालक के उनके देश में पहुंचने के समय से अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के भीतर उनके देश की विधि के अनुसार बालक को दत्तक ले लेंगे ।

(ज) एक वचनबंध कि वे ऐसे दत्तकग्रहण की सूचना उस न्यायालय को, जिसने उन्हें संरक्षक नियुक्त किया है, और भारत में उनके मामले को अग्रसर करने वाले समाज या बाल कल्याण अभिकरण को भी देंगे ।

(झ) एक वचनबंध कि वे अपनी प्रास्थिति के अनुसार बालक का भरण पोषण करेंगे और उसके लिए आवश्यक शिक्षण तथा पालन पोषण की व्यवस्था करेंगे ।

(ञ) एक वचनबंध कि वे न्यायालय को और भारत में समाज या बाल कल्याण अभिकरण को भी, बालक के नूतन फोटोग्राफ के साथ उसकी प्रगति से संबंधित रिपोर्टें भेजेंगे, ऐसी प्रगति रिपोर्टों की आवृत्ति प्रथम दो वर्षों के दौरान तिमाही और उसके बाद अगले तीन वर्षों के लिए छमाही होगी।

(ट) भारत में समाज या बाल कल्याण अभिकरण के एक अधिकारी के नाम मुख्तारनामा, जिससे मामले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है और ऐसे मुख्तारनामे में मुख्तार को, यदि विदेशी व्यक्ति भारत में आने की स्थिति में नहीं है तो मामले में विदेशी व्यक्ति की ओर से उस मामले को निपटाने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

(ठ) विदेशी व्यक्ति का आवेदन अग्रेषित करने वाले समाज या बाल कल्याण अभिकरण को, यह भी प्रमाणित करना होगा कि बालक को दत्तक लेने की कामना करने वाला व्यक्ति अपने देश की विधि के अनुसार ऐसा करने के लिए अनुज्ञात है ।

परिशिष्ट "छ"

बाल अध्ययन रिपोर्ट

1. जानकारी का अभिज्ञात, जहां संभव हो, दस्तावेजों द्वारा समर्थित।
2. मूल माता पिता के, उनके स्वास्थ्य और माता की गर्भावस्था और जन्म के ब्यौरे सहित, जानकारी।
3. शारीरिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास।
4. रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी, अधिमानतः बाल चिकित्सक द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य रिपोर्ट।
5. नवीनतम फोटोग्राफ ।
6. वर्तमान परिवेश—देखरेख का प्रवर्ग (अपना गृह, पोषण गृह, संस्था, आदि) नातेदारी, दिनचर्या और आदतें।
7. सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन और अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण का सुझाव देने के लिए कारण।

परिशिष्ट "च"

385931 सं० 6(3)15/92-वि०क्ष० (एल० एस०)
18 सितंबर, 1992 और 23 सितंबर, 1992

सेवा में,

परिशिष्ट "घ" में उल्लिखित
संस्थाओं के सचिव

महोदय,

आपको यह सूचित करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के विधि आयोग ने विदेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण के पहलू पर, उसमें आ गए चरित्र हीन तत्वों का, यदि कोई हैं, पता लगाने और अंतर्राज्य दत्तक ग्रहणों के छद्म के अधीन भारतीय बालकों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक प्रभावी विधि अधिनियमित करते हेतु भारत सरकार को सिफारिशें करने की दृष्टि से, अध्ययन करने का विनिश्चय किया है। विधि आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि आपकी सोसाइटी, उन सम्मानित सोसाइटियों में से एक है जो परित्यक्त बालकों को उन्हें एक कुटुम्ब का परिवेश देकर, पुनर्वास प्रदान करने तथा इन बालकों के भारतीय और साथ ही विदेशी माता पिता द्वारा दत्तक लिए जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के कार्य में लगी हुई है । यह भी समझा जाता है कि आपकी सोसाइटी ने कुछ बालक, विदेशी व्यक्तियों को दत्तक दिए हैं और ऐसे दत्तक ग्रहणों से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों/समस्याओं से अवगत है ।

भारत सरकार को, एक प्रभावी विधि के अधिनियमन की सिफारिश करने के उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से, मुझे इस अवसर का लाभ उठाने तथा आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप हमें निम्नलिखित बातों से अवगत कराएं :

(क) अब तक आपकी सोसाइटी द्वारा कितने बालक विदेशी माता पिता को दत्तक ग्रहण में दिए गए हैं ? यदि संभव हो तो विदेशी माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के ब्यौरे, देश-वार, लिंग-वार, धर्म-वार, आदि भेजने की कृपा करें।

(ख) क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य अनुश्रवण तंत्र है कि बालक, किसी ठीक कुटुंब में जाता है जो बालक के शारीरिक, भावात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि के पूर्ण विकास का परिवेश प्रदान करेगा ? क्या ऐसा अनुश्रवण, दत्तक माता पिता के देश की सरकार के माध्यम से है अथवा वहां पर कार्यरत समाज कल्याण अधिकरणों के माध्यम से है ?

(ग) क्या विदेशी माता पिता द्वारा दत्तक लिए गए किसी बालक का विभेदीकरण, शोषण, दुरुपयोग या कुप्रयोग आपकी जानकारी में आया है? यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे।

(घ) उपर्युक्त विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि ऐसे सुझाव भी भेजे, जिनके बारे में आप ऐसा समझते हैं कि विधि अधिनियमित करने के लिए भारत सरकार को सिफारिशें करते समय उन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि बालक का कल्याण ही अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का प्राथमिक सरोकार बन जाए।

यह भी अनुरोध है कि अपनी सोसाइटी के संविधान की एक प्रति भी भेजें ताकि हम आपकी संस्था के उद्देश्यों और कार्यकरण प्रणाली के बारे में जानने में समर्थ हो सकें।

भवदीय,
ह०
(डॉ० संतोख सिंह)
सहायक विधि अधिकारी

परिशिष्ट "छ"

बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण करने के लिए मान्यताप्राप्त अभिकरणों की सूची, जिन्हें परिशिष्ट "च" का पत्र भेजा गया था ।

आंध्र प्रदेश

1. सेवा समाजम
   बालिका, निलयम, 10–3–561/3
   विजय नगर कालोनी
   हैदराबाद–500 457

2. भारतीय समाज कल्याण परिषद्
   (रेड हिल्स, कैंसर अस्पताल के भीतर)
   हैदराबाद–560 004

3. ऐक्शन फार सोशल डेवलपमेंट
   1–3–183/40/46/6
   गांधी नगर,
   हैदराबाद–500 438

दिल्ली

4. एस० ओ० एस० चिल्ड्रेन्स विलेज आफ इंडिया,
   कैलाश कालोनी–110 048

5. मिशनरीज आफ चैरिटी,
   निर्मला शिशु भवन,
   12, कमिश्नर लेन, 110 054

6. दिल्ली बालक कल्याण परिषद,
   कुदसिया बाग, यमुना मार्ग,
   सिविल लाइन्स–110 054

7. चर्च आफ नार्थ इंडिया
   शिशु संगोपन गृह,
   सेंट माइकेल्स कंपाउंड, हास्पिटल रोड,
   जंगपुरा–110 014

8. होली क्रास सोसल सर्विस सेटंर,
   34, डा० मुखर्जी नगर वेस्ट,
   नई दिल्ली–110 009

9. वेलफेयर होम फार चिल्ड्रेन
   58, राजा गार्डन–110 015

गुजरात

10. श्री काठियावाड़ निराश्रित बालाश्रम
    मालवीय रोड,
    राजकोट–360 002

गोवा

11. चैरिटस गोवा
    पैको पैट्रियार्चल
    आल्टिन्हो, पंजिम–403 001
    गोवा

कर्नाटक

12. आश्रय
    जवान क्वार्टर्स, बी डी ए पार्क
    डबल रोड, इन्दिरा नगर–1
    बंगलौर

13. शिशु मंदिर,
    17/11, कैंब्रिज रोड
    उल्सूर,
    बंगलौर-560 008

14. सेंट माइकेल होम
    ओल्ड मद्रास रोड
    इंदिरा नगर,
    बंगलौर-560 036

15. सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ चैरिटी
    सेंट जेनोसाज, कान्वेंट
    बाल वेलेटो एंगलोर
    मंगलौर–560 003

केरल

16. केरल राज्य बाल कल्याण परिषद्
    थैकाड़
    तिरुवनन्तपुरम–695 014

17. दीन सेवन सभा,
    स्नेह निकेतन सोशल सेंटर
    पट्टुवम, कैन्नानोर, केरल ।

18. शिशु भवन
    पादापुरम पी०ओ० वाया कारुकुटी
    जनपद, एर्नाकुलम
    केरल

19. होली इन्फैंट्स मेरीज गर्ल होम
    53ए, जनपद, वायानाड, केरल

महाराष्ट्र

20. हिंदू महिला कल्याण सोसाइटी
    शारधानन्द महिलाश्रम,
    शारधानन्द रोड, माटुंगा,
    मुम्बई–400 019,

8–2 M of L&J/ND/95

21. बाल आनन्द वर्ल्ड चिल्ड्रेन वेल्फेयर ट्रस्ट इंडिया,
साई कृपा० 93, घाटला गांव, चेम्बूर
मुम्बई–400 071

22. सेंट कैथ्रिन्स होम,
वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट
मुम्बई–400 058

23. शेजार छाया
देओदल, कामन पी ओ तालुका वसई,
थाणे–401 202

24. भारतीय समाज सेवा केंद्र
न० 5 कोरेगांव रोड
पुणे–411 001

25. इंडियन एसोसियेशन फार प्रमोशन आफ एडाप्शन, आर एन ए हाउस
प्रथम तल
वीर नारीमन रोड, फोर्ट, मुम्बई–400 034

26. फेमिली सर्विस सेंटर,
इचविष्टिक कांग्रेस बिल्डिंग–III
नं० 5, कान्वेंट स्ट्रीट
मुम्बई–400 039

27. बलवंतकौर आनन्द मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी,
प्रीत मंडी 18,½ डा० कोयासी रोड
पुणे–411 001

28. दि सोसाइटी आफ फ्रेंड्स आफ सैसून हास्पिटल, पुणे (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

29. सुभद्रा महताब सेवा सदन
एटी/डाकघर/जी० उदयगिरी
जनपद फुलबनी
उड़ीसा

30. वसुंधरा (चम्बा तारा पद)
खालरीहोम,
कटक–753 001, उड़ीसा

पंजाब

31. अनाथ सेवा सोसाइटी
गुलाब देवी हास्पिटल रोड़,
जालंधर–144 008

पांडिचेरी

32. क्लूनी शिशु होम,
पौनियर सेंट जोसेफ
नं० 8, रोमैन रोलैण्ड स्ट्रीट
पाण्डिचेरी–605 001

तमिल नाडु

33. इन्स्टीट्यूट आफ दि फ्रैसिस्कव मिशनरीज आफ मेरी, सोसाइटी नं० 3
होली एपासिल्स कान्वेंट
सेंट थामस माउन्ट बेबीज होम,
सेंट थामस माउन्ट
मद्रास–600 016

34. एस० ओ० एस० चिल्ड्रेन्स विलेज आफ इंडिया
चटनाथ होम्स, कर्ण प्रयाग,
प्राप्ति सह-दत्तक ग्रहण केन्द्र
12–ए नागेश्वर रोड
नुंगम्बक्कम, मद्रास–600 034

35. ग्रेस केनेट फउन्डेशन
34, केनेट रोड,
मदुरै–625 010

36. फेमिली फार चिलड्रेन
(कुलन्दैकल कुटुम्बम)
सनशाइन हाउस
93, मेत्तूर मेन रोड,
पोडानूर–641 023

37. कांग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि क्रास आफ चवनाड,
पोस्ट बैग न० 395, तेप्पकुलम
ओल्ड गुड्स शेड रोड,
तिरुचिरापल्ली–620 002

पश्चिमी बंगाल

38. भारतीय बालक कल्याण सोसाइटी
22, कर्नल बिश्वास रोड
बेलीगंज
कलकत्ता

39. मिशनरीज आफ चैरिटी
54/ए, लोअर सर्कुलर रोड़,
कलकत्ता–700 016

40. भारतीय बालक पुनर्वास सोसाइटी
नं० 112 बी, कंकुलिया रोड
कलकत्ता–700 029

अनस्थानन अभिकरण

1. भारतीय बाल कल्याण परिषद्
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली–110 022

परिशिष्ट "ज"

बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यताप्राप्त उन अभिकरणों की सूची, जिन्होंने परिशिष्ट "च" के पत्र का उत्तर दिया।

आन्ध्र प्रदेश

1. सचिव,
   सेवा समाजम
   बालिका निलयम, 10-3-561/3
   विजय नगर कालोनी,
   हैदराबाद-500 457

2. भारतीय समाज कल्याण परिषद्
   (रेड हिल्स, कैंसर हास्पिटल के भीतर)
   हैदराबाद-500 038

दिल्ली

3. एस०ओ०एस० चिल्ड्रेन विलेज आफ इंडिया
   कैलाश कालोनी
   नई दिल्ली-110 048

4. मिशनरीज आफ चैरिटी,
   निर्मला शिशु भवन,
   12 कमिश्नर लेन,
   दिल्ली-110 054

5. दिल्ली बाल कल्याण परिषद्
   कुदसिया बाग, यमुना मार्ग,
   सिविल लाइन
   दिल्ली-110 054

6. चर्च आफ नार्थ इंडिया
   शिशु संगोपन गृह
   सेंट माइकेल्स कंपाउंड हास्पिटल रोड,
   जंगपुरा,
   नई दिल्ली-110 014

7. होली क्रास शोशल सर्विस सेंटर
   34, डा० मुखर्जी नगर वेस्ट
   नई दिल्ली-110 009

8. वेलफेयर होम फार चिल्ड्रेन
   68ए, राजा गार्डन-110 015

गुजरात

9. शिव काठियावाड़ निराश्रित बालाश्रम
   मालवीय रोड,
   राजकोट-360 002

गोवा

10. चैरिटस गोवा,
    माको पैट्रियाकल
    आल्टिन्हों
    पणजी-403 001
    गोआ

कर्नाटक

11. आश्रय
    जवान क्वार्टर्स, बीडीए ब्लाक,
    डबल रोड, इन्दिरा नगर-1
    बंगलौर

12. सेंट माइकेल होम
    ओल्ड मद्रास रोड
    इन्दिरा नगर
    बंगलौर-560 038

केरल

13. दीन सेवान सभा,
    स्नेह निकेतन, सोशल सेंटर
    पट्टुवन, पट्टुवन
    कन्नानोर,
    केरल

14. शिशु भवन,
    पादापुरम डाकघर, वाया कासकूर्ती
    जनपद एर्नाकुलम
    केरल

महाराष्ट्र

15. बाल आनन्द वर्ल्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर
    ट्रस्ट इंडिया
    साई कूपा 93
    चाटला गांव, चेम्बूर
    मुम्बई-400 071

16. सेंट कैथरीन्स होम,
    वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट
    मुम्बई-400 058

17. शेजार छाया
    देओदल, कामन डाकघर, तालुका बसई
    ठाणे-405 202

18. भारतीय समाज सेवा केन्द्र
    नं० 5, कोरे गांव रोड,
    पुणे–411 001

19. इंडियन एसोसिएशन फार प्रमोशन आफ एडाप्शन,
    आर एन हाउस,
    प्रथम तल, बीर नरीमन रोड,
    फोर्ट, मुम्बई–400 039

20. फेमिली सर्विस सेन्टर
    इन्रो या विस्टिक, कांग्रेस बिल्डिंग–3
    नं० 5, कान्वेंट स्ट्रीट
    मुम्बई–400 034

21. बलवंत कौर आनन्द मेमोरियल
    वेलफेयर सोसाइटी, प्रीति मंदिर–18
    डा० कोयासी रोड
    पुणे–411 001

22. दि० सोसाइटी आफ फ्रेंडस आफ सैसून
    हास्पिटल,
    पुणे (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

23. सुभद्रा मेहतान सेवा सदन
    पोस्ट आफिस जी उदयगिरी
    जनपद फुलबनी
    उड़ीसा

पंजाब

24. अनाथ सेवा सोसाइटी
    गुलाब देवी हास्पिटल रोड
    जालंधर–144 008

पाण्डिचेरी

25. क्लूनी शिशु इलान
    पोओनियर सेंट जोसेफ
    नं० 8, रोमैनरोलैण्ड स्ट्रीट
    पाण्डिचेरी

तमिल नाडु

26. ग्रेस केवेट फाउंडेशन
    34, केनेट रोड
    मदुरै–625 010

27. फेमिली फार चिलड्रेन
    (कुलन्दैकल कुटुम्बम)
    सनशाइन हाउस
    93, मेत्तूर मैन रोड
    पोडानूर–641 023

पश्चिमी बंगाल

28. सोसाइटी फार इंडियन चिल्ड्रेन्स वेलफेयर
    22, कर्नल विश्वास रोड,
    बेली गंज,
    कलकत्ता

29. मिशनरीज आफ चैरिटी
    54/ए लोअर सर्कुलर रोड
    कलकत्ता–700 016

30. भारतीय बाल पुनर्वास सोसाइटी
    नं० 112 बी, कंकुलिया रोड
    कलकत्ता–700 029

अस्थानन अभिकरण

1. भारतीय बाल कल्याण परिषद्
    4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
    नई दिल्ली–110 002

टिप्पण : केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी पत्र भेजा गया था।

परिशिष्ट 'झ'

बाल कल्याण अभिकरणों का व्यावहारिक कार्यकरण अनुभव

बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा प्राप्त किए गए व्यावहारिक कार्यकरण अनुभव का सार, निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है :

(1) विदेशी संगठन से कोई दत्तक-ग्रहण पत्रावली प्राप्त होने पर, मान्यता प्राप्त बाल कल्याण अभिकरण के वृत्तिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा उसकी छान बीन की जाती है। जब भारतीय अभिकरण द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तब ऐसा अभिकरण, जिसने दत्तक-ग्रहण पत्रावली का अनुमोदन किया है, स्थानीय कुटुम्ब न्यायालय में, जहां ऐसा न्यायालय विद्यमान है, या किसी जिला न्यायालय में संरक्षकता के लिए मामला फाइल करता है ।

भारतीय समाज कल्याण परिषद् विदेशी व्यक्ति के कौटुंबिक कागजातों की छान बीन करता है और तदनुसार, न्यायालय को सिफारिश करता है । न्यायाधीश, यदि मामले में उसका समाधान हो जाता है, तो अपना आदेश करता है । इस प्रकार यह कि सागर पार से दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक कुटुम्ब की, उनकी चरित्र, हेतुक, स्थिरता, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, नियोजन और आय, तथा जीवन शैली के लिए प्राधिकारियों की एक श्रृंखला द्वारा छानबीन की जाती है ।

ऐसी छानबीन के पश्चात् दुरुपयोग या कुप्रयोग के कोई मामले नहीं हुए हैं और वे समस्याएं, जो प्रकाश में आई हैं, नवयुवकों और बालक के उसके जन्म दाता माता-पिता द्वारा त्याग से बालक के मन में निहित कौटुंबिक परिस्थितियों की आम समस्याओं से संबद्ध है।

(2) सब मिलाकर अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में दिए गए बालक, वे बालक हैं जो या तो छोड़े गए या परित्यक्त हैं । अतः बालक का धर्म, बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा अवधारित नहीं किया गया है ।

(3) अधिकांश विदेशी दत्तक दम्पत्ति ईसाई हैं और वे विकलांग बालक और कुरूप नारी बालक को भी, जो भारतीय दत्तक मातापिताओं द्वारा स्वीकार्य नहीं हो पाएगा, अधिमान देते हैं, और उनके द्वारा दत्तक लिए गए बालकों को श्रेष्ठतम संभाव्य चिकित्सीय और भावात्मक देख रेख मिलती है ।

(4) वे बालक, जो नियोजन के लिए पर्याप्त वयस्थ हैं, उसकी रज्ञान के आधार पर कार्य के लिए चुने गए थे और उन्हें किसी विभेद का सामना नहीं करना पडा । यद्यपि उनका पालन पोषण स्वेत माता-पिता द्वारा किया जाता है, फिर भी दत्तक लिए गए बालक कौटुंबिक स्नेह जाल और सामाजिक ताने बाने में पूरी तरह धुलमिल गए हैं ।

(5) बालकों और कुटुंब के सामने आने वाली समायोजन की समस्याओं से संबंधित सांयोगिक मामले, समाज कार्य अभिकरण द्वारा कोमलता पूर्वक संभालें और सुलझाए जाते है । बालक का समायोजन सुकर बनाने के लिए कुछ विदेशी अभिकरणों ने अब "दत्तक संतानों के लिए सहायक समूह" आयोजित किए हैं। इन बैठकों में दत्तक संतानें, दत्तक ग्रहण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और निश्चिय पर पहुंचने में समर्थ हैं ।

(6) कुछ भारतीय अधिकरणों ने यह देखा है कि दत्तक माता-पिता, अपनी दत्तक संतानों से अत्यधिक आनंदित और गौरवान्वित होते तथा उनके प्रति आभारी रहते, हैं ।

(7) कुछ देशों में वे अभिकरण जिनके माध्यम से भारतीय अभिकरण विदेश में दत्तक ग्रहण स्थानन की व्यवस्था कर रहे हैं, क्रिसमस के समय या ग्रीष्मकाल में सामाजिक रूप से एकत्र होते हैं। उनमें से कुछ "इंडिया डे" समारोह भी आयोजित करते हैं ।

(8) विदेश में भारतीय राजदूतावास और उच्च आयोग, विदेशी-माता-पिता द्वारा भारतीय बालकों का दत्तक ग्रहण मानीटर करते हैं । पश्च-स्थानन रिपोर्टें, सुसंगत भारतीय न्यायालयों में 5 वर्ष तक फाइल की जाती हैं। बालक की ऐसी रिपोर्टें प्रथम दो वर्षों के दौरान तिमाही, और पश्चात् के तीन वर्षों के लिए जब तक कि दत्तक ग्रहण संपन्न नहीं होता, छमाही रूप से भेजी जाती है। यदाकदा, बालक के कल्याण और प्रगति की रिपोर्ट भारतीय बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा दत्तक माता-पिता से भी प्राप्त की जाती है ।

(9) प्रत्येक वर्ष, कुछ विदेशी दत्तक लिए गए बालक अपने दत्तक माता-पिता के साथ भारत भ्रमण पर आते हैं । ये बालक, अपनी जड़ों की खोज करने और अपने जन्म के देश के बारे में जानने के लिए अत्यंत जिज्ञासु रहते हैं ।

(10) कुछ भारतीय अभिकरणों के कार्यकर्ता विदेश में दत्तक लिए गए बालकों और उनके कुटुंबों से भेंट करते हैं तथा बालकों के कल्याण और प्रगति के बारे में स्पष्ट विचार बनाने के लिए इन बालकों को सार्वजनिक रूप से एकत्रित करते हैं ।

(11) अधिकांश भारतीय बाल कल्याण अभिकरणों ने अपने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कार्य के माध्यम से विदेशी बाल कल्याण अभिकरणों के साथ घनिष्ट संबंध बना लिए हैं । इससे विदेशी मातापिता द्वारा दत्तक लिए गए भारतीय बालकों के कल्याण और उनकी प्रगति को मानीटर करना सुकर हो जाता है ।

(12) कुछ ऐसे उपादान हैं जो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में विदेशी सरकार के अधिकारियों की अंतर्ग्रस्तता आवश्यक बना देते हैं। पहला, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज "देश की सरकार का अनुमोदन" है । यह ऐसा दस्तावेज है जो विदेशी दत्तक ग्रहण आवेदकों की विधिमान्यता पृष्ठांकित करता है और परिणामस्वरूप विदेश में दत्तक लिए गए बालक के प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करता है । यह अनुमोदन, दत्तक माता-पिता की उनके देश के सरकारी अधिकारियों/आव्रजन विभाग द्वारा सतर्कतापूर्वक छानबीन करने के पश्चात् दिया जाता है ।

दूसरा, विदेशी सरकार की अंतर्ग्रस्तता की अपेक्षा करने वाला उपादान यह है कि सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दस्तावेजों की उनकी स्वीकृति के पूर्व, नोटरी के हस्ताक्षर या तो विदेश मंत्रालय द्वारा या उस देश में भारतीय दूतावास/कौंसेलेट या उच्च आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने हैं ।

तीसरे, दत्तक लिए गए बालक के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और भलाई का समय अनुश्रवण तथा अन्य समान अधिकार रखने वाले अन्य नागरिकों की भांति समाज प्रास्थिति प्रदान करना विदेशी सरकारों की जिम्मेदारी है ।

(13) साधारणतः समाज कल्याण अभिकरण किसी एक देश या अभिकरण तक बालकों का स्थानन निर्बंधित नहीं करते हैं उनमें से कुछ को छोड़कर, जो कुछ चुने हुए देश तक अपनी गतिविधियां निर्बंधित रखते हैं ।

9—2 M of L&J/ND/95

(14) स्वीडन में, जब कोई दंपति, दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन करता है, तब सरकार द्वारा स्थापित समाज कल्याण समिति, अपने रिकार्ड की जांच करके, स्वीडन के नागरिक के रूप में अपना अनुमोदन प्रदान करती है । उसके पश्चात्, कोई समाज कार्यकर्ता, जो स्वीडन सरकार का कर्मचारी है, "गृह अध्ययन" साक्षात्कार करता है, घर पर जाता है किसी विदेशी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए उपयुक्तता के लिए कुटुंब की छानबीन करता है ।

तब यह कुटुंब, भारत से बालक के दत्तक ग्रहण के लिए, स्वीडन स्थित किसी अनुज्ञाप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ रजिस्ट्री कराता है । यह अभिकरण, भारतीय सरकार के समाज कलयाण मंत्रालय से भी मान्यताप्राप्त और सूचीबद्ध है । यही वह अभिकरण है जो भारतीय मान्यताप्राप्त बाल कलयाण अभिकरणों को दस्तावेज अग्रेषित करता है और किसी समस्या की स्थिति में बालक के स्थानन के लिए पूरी तरह उत्तर- दायी होता है तथा भारतीय न्यायालयों की अपेक्षानुसार, पश्च स्थानन रिपोर्टें देने के लिए भी वचनबद्ध होता है ।

जब बालक, भारतीय न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक की अभिरक्षा में स्वीडन जाता है, तब बालक, स्वीडन की विधि के अधीन विधितः दत्तक लिया जाता है । स्वीडन की दत्तक ग्रहण विधि, दत्तक लिए गए बालक को अनन्यतः समान अधिकार प्रदत्त करती है ।

स्वीडन में, बालक, सभी सामाजिक सुरक्षा अभ्युपायों का, जिसमें निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के फायदे, वृद्धावस्था देखरेख आदि भी है, उपयोग करता है ।

दत्तक माता पिता को, बालक की देखभाल करने के लिए एक वर्ष की संदेय प्रसूति/पितृत्व छुट्टी मिलती है । छुट्टी की इस अवधि के समाप्त होने पर, उन्हें केवल अंशकालिक कार्य पर लौटने का विकल्प प्राप्त होता है । जब दत्तक माता-पिता अपने कार्य पर चले जाते हैं तब बालक को, पोषक माता के साथ निःशुल्क दिन भर की पोषण देखरेख प्रदान की जाती है ।

स्वीडन में, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को मानीटर करने के लिए, एन आई ए नाम से ज्ञात एक शासकीय शीर्ष निकाय है । यदि, दत्तक-ग्रहण अभिकरण या दत्तक कुटुंब के सामने कोई गंभीर समस्या आती है तो उस दशा में, एन आई ए इस पर कार्रवाई कर सकता है । एन आई ए, बाल कल्याण नीति निर्माताओं, सरकारी समाज कार्यकर्ताओं और स्वीडन पार्लियामेंट के सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें वे अंतर्देशीय दत्तक-ग्रहण से संबंधित विवाधकों पर चर्चा करते हैं । इस अधिवेशन में, वे भारत में बालक देखरेख गतिविधियों में लगे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं । इस प्रकार स्वीडन में दत्तक-ग्रहण पूरी तरह मानीटर किया जाता है ।

(15) संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां भारतीय बालक, दत्तक-ग्रहण में लिए जाते हैं, इसके परिसंघीय राज्य होने के कारण, प्रत्येक राज्य में विधि भिन्न-भिन्न है ।

कुछ भारतीय अभिकरण, कुछ ऐसे चुने हुए अभिकरणों के साथ ही कार्य करते हैं, जो उनके राज्य की सरकारों द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए अनुज्ञप्त हैं, और साथ ही दत्तक में दिए जाने वाले भारतीय बालकों के कार्य पर प्रसंस्करण तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । उदाहरणार्थ, सोसाइटी आफ फ्रैंड्स आफ दि सैसून हास्पिटल, पुणे, वाइड होराइजन्स फार चिल्ड्रेन्स इन बोस्टन स्टेट एंड होल्ट इंटरनेशनल चिल्ड्रन सर्विस ओरिगन स्टेट के साथ कार्य करता है ।

परिशिष्ट "ञ"

मान्यताप्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण अभिकरणों द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान किए गए आंकड़ों के अनुसार

क्रम सं०	संगठन का नाम और पता	वर्ष 1989		वर्ष 1990		वर्ष 1991	
		विदेशी दत्तक ग्रहण	भारतीय दत्तक ग्रहण	विदेशी दत्तक ग्रहण	भारतीय दत्तक ग्रहण	विदेशी दत्तक ग्रहण	भारतीय दत्तक ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	सेवा समाजम बालिका नियम 10-3-561/3, विजय नगर कालोनी, हैदराबाद-500 457	4	10	11	15	4	6
2.	भारतीय समाज कल्याण परिषद् (रेड हिल्स, कैंसर अस्पताल कंपाउंड के भीतर), हैदराबाद–560 004 .	20	21	23	14	16	7
दिल्ली							
3.	एस० ओ० एस०, चिल्ड्रन्स विलेजज आफ इंडिया, ऐ-38, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110 048 .	3	19	4	33	2	41
4.	मिशनरीज आफ चैरिटी, निर्मला शिशु भवन, 12, कमिश्नर लेन, दिल्ली-110 054 . .	137	54	126	60	111	78
5.	दिल्ली बाल कल्याण परिषद्, कुदसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 . .	22	41	29	43	28	52
गोवा							
6.	बाल विकास सोसाइटी, मकान नं० 630, करंजलम, गोवा-403 002 . .	3	2	12	7	16	9
7.	कैरिटस गोवा, पैको पैट्रियार्सल, अल्टिन्हो पंजिम, गोवा-403 001 . .	13	6	12	6	8	4

10—2 M of L&J/ND/95

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात :							
8.	श्री काठियावाड़ निराश्रित बालाश्रम, मालवीय रोड, राजकोट–360 002 .	3	11	5	24	8	5
9.	महिपन्तम रूपम आश्रम, रायपुर गेट के सामने, अहमदाबाद–380 022 . .	27	5	9	15	23	10
हरियाणा							
10.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, बाल विकास भवन, 650, सेक्टर 16–डी, चण्डीगढ़–160 016 .	6	1	8	8	8	4
कर्नाटक							
11.	केनरा बैंक राहत और कल्याण सोसाइटी, 27वां क्रास, पानाशंकरी, सैकेण्ड स्टेज, बंगलौर-560 070 . .	5	6	14	2	6	16
12.	आश्रय, जवान कालोनी, बी० डी० ए० पार्क, डबल रोड, इंदिरा नगर, पहला चरण, बंगलौर–560 038 .	15	1	16	19	9	10
13.	सेंट माइकेल्स होम, पुराना मद्रास रोड, इंदिरा नगर, बैंगलौर–560 038 .	10	10	8	8	4	10
14.	सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ सैंट जोसेफ आफ टार्बेस, 47, प्रोमनेड रोड, बंगलौर-560 005 . .	4	—	6	17	अनवीकृत	
15.	शिशु मंदिर, 1341, दसवां क्रास, इंदिरा नगर, दूसरा चरण, बंगलौर-560 038 .	—	—	—	—	8	2
केरल							
16.	सेंट जोसेफ चिल्ड्रेंस होम, कुम्मन्नूर, चेरपुंकल डाकघर, जनपद, कोट्टायम .	38	13	21	15	18	19
17.	शिशु भवन, पादुपुरम वाया कालकुट्टी, जनपद एरनाकुलम	2	17	11	8	7	9

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	केरल राज्य बाल कल्याण परिषद्, थुकाड, तिरुवेन्द्रम-695 014 . .	—	—	—	—	अनवीकृत	
महाराष्ट्र							
19.	बलवंत कौर आनन्द मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, आनन्द कार्नर, 18-डा० कोवाजी रोड, पुणे-411 001	10	11	9	19	3	1
20.	इंडियन एसोसियेशन फार प्रमोशन आफ एडाप्शन, आर एन ए हाउस, प्रथम तल, बीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुम्बई–400 034 . .	5	5	—	15	15	43
21.	चिल्ड्रेन आफ दि वर्ल्ड (इंडिया) ट्रस्ट, 501, अरुण चैम्बर, तारदेव, मुम्बई–400 034 .	17	8	16	17	14	20
22.	पुष्पवाड़ी फाउंडिंग होम, नागपुर हाउस आफ मैरी इमेकुलेट, प्राविडेन्स स्कूल कम्पाउंड, सिविल लाइन्स, नागपुर–440 001 . .	14	1	17	7	8	3
23.	भारतीय समाज सेवा केन्द्र, 5, कोरेगांव रोड, पुणे-411 001	41	56	45	68	38	11
24.	महिला सेवा मण्डल, 25/20, कर्वे रोड, पुणे–411 004	3	6	3	3	9	14
25.	फेमिली सर्विस सेंटर, यूचेरिस्टिक कांग्रेस बिल्डिंग-II, नं० 5, कान्वेंट स्ट्रीट, मुम्बई–400 039 . .	5	33	10	43	5	5
26.	महाराष्ट्र राज्य महिला बचाव गृह परिषद्, आशा सदन मार्ग, उमेरखाड़ी, मुम्बई–400 009	15	20	34	36	27	27
27.	विवेकानन्द बाल सदन सेठ डागा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के सामने, काम्पटे, नागपुर-411 002 .	3	—	5	6	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	हिन्दू महिला कल्याण सोसाइटी, शारदानन्द महिला आश्रम, शारदानन्द रोड, माटुंगा, मुम्बई–400 019 .	8	52	11	45	16	32
29.	डब्ल्यू० बी० एन० बालकाश्रम, 431, नवीं पेठ, पण्ढरपुर, जिला शोलापुर . .	10	9	7	5	7	5
30.	मिशनरीज आफ चैरिटी, निर्मला शिशु भवन, चर्च रोड, विले पार्ले (वेस्ट), मुम्बई–400 058 . .	55	50	70	70	63	24
31.	मातृ सेवा संघ (फाउंडिंग होम), समाज कार्य संस्था, बजाज नगर, नागपुर–411 010	6	19	4	19	9	1
32.	सेंट क्रिस्पिंस होम, एफ आर-10, सी टी एस–12, कर्वे रोड, बरब्डावने, पुणे–411 010.	1	1	1	1	अनवीक्षत	
33.	बाल आनन्द वर्ल्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट, 93, घाटला ग्राम चेम्बूर, मुम्बई–400 071	47	33	44	40	अनवीक्षत	
34.	सेंट कैथरिन्स होम, वीर देसाई मार्ग, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई-400 059 . .	25	13	19	17	अनवीक्षत	
35.	होली क्रास होम फार बेबीज, मार्फत होली क्रास कान्वेन्ट, अमरावती (कैंप)–444 602	—	—	—	2	6	5
36.	कुआन विन पूर्त न्यास, 91, ऐडवेंट, 12–ए, जनरल भोंडक रोड, मुम्बई–400 021 .	—	—	26	8	अनवीक्षत	
उड़ीसा							
37.	मनोज मंजरी शिशु भवन, ए टी/डाकघर क्योंझरगढ़, जनपद क्योंझरगढ़, पिन-738 001 . .	15	1	3	3	—	3
38.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, ए टी/डाकघर/थाना उदयगिरि, जनपद फुलबनी–762 100	—	—	—	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	वसुन्धरा, ए० टी० ध्रुवतारा, खलासी लेन . .	—	—	—	—	10	6
पाण्डिचेरी							
40.	क्लूनी शिशु इल्लम, पौपोलियर सेंट जोसेफ, 8, रोमैन रोलैण्ड स्ट्रीट, पाण्डिचेरी–605 001 . .	5	—	13	7	8	7
तमिल नाडु							
41.	गिल्ड आफ सर्विस (केन्द्रीय), 28, कसा मेजर रोड, एग्मोर, मद्रास–600 008 .	6	7	36	5	17	3
42.	कांग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि क्रास आफ चवनाड, पी० बी० नं० 395, ओल्ड गुड्स शेड रोड, तेप्पाकुलम, तिरुचिरापल्ली–620 002	16	12	11	9	28	20
43.	इंस्टीट्यूट आफ दि फ्रैसिस्कन, मिशनरीज आफ मैरी सोसाइटी, नं० 3, होली एपासिल्स कान्वेंट, सेंट थामस माउंट बेबीज होम, सेंट थामस माउंट, मद्रास–600 016	—	—	11	11	5	6
44.	कांकर्ड हाउस आफ जीसस, (निराश्रित बालक गृह), 10, वेंकटम्मा सम्मति स्ट्रीट, पुर-सइवल्कम, मद्रास-600 008	4	2	22	2	18	5
45.	ग्रेड केनेट फाउंडेशन, 34, केनेट रोड, जनपद मदुरै, मदुरै-625 010 . .	10	2	14	11	13	25
46.	फेमिलीज फार चिल्ड्रन, (कुशदैगल कुटुम्बम), जनपद कोयम्बटूर, पोदनूर–641 023	2	2	5	2	7	2
47.	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेजज आफ इंडिया, चटनार्थ होम्स, करण प्राया, प्राप्ति सह दत्तक ग्रहण केन्द्र, पहला मेन रोड, थम्बरम ईस्ट, मद्रास-600 059	—	—	—	6	अनवीक्षत	

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर प्रदेश						
48.	उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद्, मोती महल, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ .	—	—	3	—	अनवीकृत	
	पश्चिमी बंगाल						
49.	मिशनरीज आफ चैरिटी, 54/ए, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता–700 016 .	171	96	203	97	150	27
50.	भारतीय बालक कल्याण सोसाइटी, 22, कर्तव्य विश्वास रोड, बेलीगंज, कलकत्ता	73	11	51	33	35	32
51.	इंडियन सोसाइटी फार स्पांशरशिप एण्ड एडाप्शन, 1, पैलेस रोड, 1, काइड स्ट्रीट, कलकत्ता–700 016	34	18	37	23	28	26
52.	इंटरनेशन मिशन आफ (इंडिया) सोसाइटी, 2, नीमक महल, कलकत्ता–700 043	—	—	17	30	150	27
53.	भारतीय बालक पुनर्वास सोसाइटी, 112–बी, केंकुलिया रोड, कलकत्ता-700 029 .	55	7	29	13	अनवीकृत	
54.	श्री श्रद्धानन्द अनाथालय, शारदानन्द पेठ, नागपुर .	64	20	53	36	66	35
55.	बाल कल्याण और पुनर्वास सोसाइटी, आकाशवाणी रोड, राजा बाजार, पटना–800 014 . .	8	4	3	3	अनवीकृत	
56.	सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ चेरिटी, सेंट जार्जस कान्वेंट, बंगलौर . .	19	6	32	18	18	9
57.	सोसाइटी आफ सिस्टर्स आफ चैरिटी, होली ऐंजिल्स कान्वेंट, बंगलौर . .	19	8	18	12	28	6
58.	बाल कल्याण गृह, 68, राजा गार्डेन, नई दिल्ली .	23	8	15	13	24	18
59.	होली क्रास होम फार सोशल सर्विस, 24, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली . . .	12	6	22	12	21	13

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	मैसर्स चर्च आफ नार्थ इंडिया, जंगपुरा, नई दिल्ली .	33	25	36	29	33	35
61.	ऐक्शन फार सोशल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस, 1-3-183/40/46/6, गांधी नगर, हैदराबाद–500 380	—	—	—	—	—	—
62.	सोसाइटी आफ दि फ्रेंड्स आफ दि सैसून हास्पिटल, पुणे, मार्फत मैडिकल सोशल वर्कर्स विभाग, कमरा सं० 80, सैसून जनरल हास्पिटल, पुणे–411 001 .	—	—	—	—	17	8
63.	दीनसेवानसभा स्नेहनिकेतन सोशल सेन्टर, पट्टुअम, जनपद कन्नानूर . .	24	6	6	7	8	11
64.	शेज़ार छाया देवदल, कनाप पो० आ०, तालुका वसई, जनपद थाणे, महाराष्ट्र .	—	—	—	—	10	7
65.	अनाथ सेवा सोसाइटी, गुलाबी देवी हास्पिटल रोड, जलंधर, पंजाब . .	—	—	—	—	—	—
66.	होली इन्फैन्ट्स मैरीज गर्ल्स होम, व्योधिरी, जनपद वयानाड, केरल . . .	18	7	28	10	15	21
	कुल योग . .	1213	757	1272	1075	1190	936

1989	विदेशी दत्तक ग्रहण	— 1213
	भारतीय दत्तक ग्रहण	— 757
1990	विदेशी दत्तक ग्रहण	— 1272
	भारतीय दत्तक ग्रहण	— 1075
1991	विदेशी दत्तक ग्रहण	— 1190
	भारतीय दत्तक ग्रहण	— 936

स्रोत : केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कल्याण मंत्रालय) पत्र सं० सी०ए० 1717, तारीख 25 नवंबर, 1992

टिप्पण : केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ने हमारे पत्र का उत्तर मात्र नहीं दिया अपितु के०द०सं०अ० के भार साधक संयुक्त सचिव आवश्यक जानकारी तत्परता के साथ प्रदान कराने में बहुत ही सहायक रहे क्योंकि उनके साथ अपेक्षित व्यक्तिगत संपर्क बहुत ही उपयोगी रहे थे।

परिशिष्ट "ट"

विदेशी व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिए गए बालकों से संबंधित आंकड़े, स्थापन अभिकरण वार

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान दत्तक में ग्रहण किए गए बालकों की संख्या													अभ्युक्तियां
		1988		1989		1990		1991		1992		1993		योग	
		(पु०)	(स्त्री)	(पु०)	(स्त्री)	(पु०)	(स्त्री)	(पु०)	(स्त्री)	(पु०)	(स्त्री)	(पु०)	(स्त्री)	(पु०+स्त्री)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	भारतीय समाज सेवा केन्द्र, पुणे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304 (पु=66 + स्त्री=238)	वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिया गया
2.	करिटसगोवा पनजिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87 (पु=39+ स्त्री=48)	1986 से 1991 तक के आंकड़े दिए गए
3.	क्यूनी शिशु इलम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415 (पु=98+ स्त्री=317)	1968 से 1992 तक के आंकड़े दिए गए
4.	दिल्ली बाल कल्याण परिषद्	8	17	8	18	2	25	3	25	—	25	—	—	569 (पु=158+ स्त्री=411)	1978 से 1992 तक के आंकड़े दिए गए
5.	दीनसेवान सभा पट्टुवम कन्नानोर, केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185 (पु=77+ स्त्री=48)]	ब्यौरे और वर्ष का उल्लेख नहीं है
6.	फैमिलीज फार चिल्ड्रेन पोदानुर कोयम्बटूर	—	—	—	2	1	5	6	3	3	—	—	—	20 (पु=10+ स्त्री=10)	—
7.	फैमिली सर्विस सेन्टर, मुम्बई	2	6	1	8	—	7	1	4	—	—	—	—	88 (पु=25+ स्त्री=63)	1975 से
8.	ग्रेस केनेट फाउंडेशन, मदुरै	1	2	—	10	4	12	5	9	—	9	—	—	77 (पु=14+ स्त्री=63)	1985 से 1992 तक
9.	भारतीय बालक	63	—	39	—	28	—	15	—	—	—	—	—	206	लिंगवार ब्यौरा नहीं दिया गया आंकड़े 1985 से 1992 (अक्तू०) तक के हैं
10.	मिशनरीज आफ चैरिटी, कलकत्ता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2358	लिंगवार ब्यौरा नहीं दिया गया आंकड़े 1960 से 1991 तक के हैं
11.	मिशनरीज आफ चैरिटी, दिल्ली	2	23	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	41 (पु=9+ स्त्री=32)	
12.	पिंगलघर जालंधर सिटी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 (स्त्री)	
13.	प्रीत मंदिर, पुणे	3	6	—	11	—	8	—	3	1	3	—	—	62 (पु=5+ स्त्री=57)	1987 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	शेजर छाया, थाणे महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28 (पु=5+ स्त्री=23)	वर्षवार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं
15.	सोफोस, पुणे	1	13	1	12	1	5	1	11	—	—	—	—	92 (पु=10+ स्त्री=82)	1985 से
16.	एस०ओ०एस० चिल्ड्रेन विलेज आफ इंडिया, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	1	4	1	4	—	2	—	3	—	—	—	—	27 (पु=8+ स्त्री=19)	आंकड़े 1984 से 1991 तक
17.	शिशु संगोपन गृह, जंगपुरा, नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241 (पु०=64+ स्त्री=177)	वर्षवार ब्यौरे नहीं दिए गए 1985 से 1992 (अक्तू०) तक
18.	भारतीय बाल कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	941 (पु=364+ स्त्री=577)	आंकड़े 1979 से 1991 तक
19.	सेंट कैथरीन्स होम, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई	24	15	10	17	9	11	3	8	3	2	—	—	237 (पु=116+ स्त्री=121)	वर्षवार ब्यौरे नहीं दिए गए
20.	शिशु भवन, सिस्टर आफ नजारेथ, पोड्-पुरम, केरल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232 (पु=99+ स्त्री=133)	अक्तूबर, 1992 तक
21.	सेंट माइकल्स होम, बंगलौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237 (पु०=95+ स्त्री=142)	आंकड़े 1954 से आगे के दिए गए हैं वर्षवार ब्यौरे नहीं दिए गए
22.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, उड़ीसा	इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख तक, छह बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए न्यायालय में निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।													
23.	वर्ल्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट, इंडिया, मुम्बई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	338 (पु०=95+ स्त्री=243)	सितंबर, 1992 तक, वर्षवार ब्यौरे नहीं दिए गए
24.	बालक कल्याण गृह, नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76 (पु०=22+ स्त्री=54)	1980 से अक्तू० 1992 तक

स्रोत : 30 मान्यता प्राप्त समाज/बालक कल्याण अभिकरणों ने विधि आयोग के पत्र (परिशिष्ट "च") का उत्तर दिया था लेकिन उपर्युक्त 24 अभिकरणों ने ही विदेशी दत्तक ग्रहण से संबंधित आंकड़े दिए थे।

MGIPCBE—S7—2 M of L & J/ND/95—30-8-96—200 Bks.

©

PLD. 92. CLIII (Hindi)
200—1995—DSK-IV

मूल्य : ₹० 615·00 (देश में) या (विदेश में) £ 23·68 या डा० 36·84

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

1997